# राजस्थान विधान सभा

## ६६वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक ३ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

**विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-०३ बजे प्रारम्भ हुई**

( श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन )

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**प्रश्न संख्या १६६१**

**श्री अध्यक्ष**—श्री जयचन्द्र मोहिल।

( प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

श्री चांदमल मेहता

**प्रश्न संख्या १६६२**

**रसद विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न विभागों के रिक्त स्थानों में नियुक्ति**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि रसद विभाग के कर्मचारियों को स्थान देने की दृष्टि से कई विभागों में रिक्त स्थान हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि ये रिक्त स्थान कई महिनों से चले आ रहें हैं जिससे उन विभागोंमें काम में बड़ा हर्जा हो रहा है ?

(ग) खनिज विभाग, उद्योग विभाग व शिक्षा विभाग में कितने २ क्लर्कों की कितने अर्से से जगहें खाली हैं ?

( श्री मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में उपमंत्री श्री चन्दनमल वैद ने उत्तर दिया )

**श्री चन्दनमल वैद (उपमंत्री)**—(क) गवर्नमेंट की ओर से स्थान रिक्त रखने की कोई आज्ञा प्रसारित नहीं की गई, किन्तु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूर्व अनुमति लेने का आदेश था।

Page No.2



[ श्री चंदनमल वैद ]

(ख) यह सही है कि किन्हीं विभागों में स्थान कुछ समय तक रिक्त रहे हों, क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति नये व्यक्तियों से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूर्व अनुमति द्वारा ही हो सकती थी। ये रिक्त स्थान विभागीय सूचना मिलने पर ही रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा भरे जा सके हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। कमिश्नरों से मंगवाई जा रही है।

श्री **चांदमल मेहता**—खनिज विभाग और उद्योग विभाग जो कि जयपुर में स्थित हैं उनसे सूचना मंगाने के लिये कितने समय की आवश्यकता है?

श्री **चन्दनमल वैद**—वे केवल जयपुर में ही स्थित नहीं है, उदयपुर में भी स्थित हैं। बीकानेर में भी स्थित हैं। आंकड़े उन सारी जगहों से मंगाये जा रहे हैं। पार्ट टाइम आंकड़े नहीं दिये जा सकते हैं। पूरे आंकड़े आ जायेंगे तब दिये जा सकते हैं।

श्री **चांदमल मेहता**—जयपुर सिटी के दफ्तरों के आंकड़े मौजूद हैं तो माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतलायेंगे कि कितने २ क्लर्कों के स्थान रिक्त हैं?

श्री **चन्दनमल वैद**—मेरा निवेदन है कि अधूरे आंकड़े मैं स्वयं लेकर नहीं आया हूं। पूरे आंकड़े जब आजायेगें तब पेश कर दिये जायेगें।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि इन विभागों में कई महीनों से क्लर्कों के स्थान रिक्त होने से काम में कठिनाई हो रही है?

श्री **चन्दनमल वैद**—यह तो मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि ऐसी आज्ञा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से पूछे बैगर कोई रिक्त स्थान की पूर्ति न की जाय।

श्री **चांदमल मेहता**—हाल ही में कुछ स्थान रिक्त हुए हैं लेकिन उनकी पूर्ति करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्या यह सही है?

श्री **चन्दनमल वैद**—मैंने आपके प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में स्वीकार किया है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि विभागों के द्वारा बराबर मांग करने के उपरान्त भी उन्हें नियुक्त करने की आज्ञा नहीं दी जा रही है?

श्री **चन्दनमल वैद**—नहीं, ऐसी बात सही नहीं है किन्तु जिन विभागों से यह आज्ञा ऐसी आज्ञा दे दी जाती है। प्राप्त होती है कि वहां रिक्त स्थन हैं तो सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट कर्मचारियों को नियुक्त कर लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि महाराजा मिडिल स्कूल, किशनगढ़ में एक क्लर्क की पोस्ट कायम हुए काफी दिन हुये हैं और वे बराबर मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां क्लर्क नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो दूसरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है।

**प्रश्न संख्या १६६३**

**श्री अध्यक्ष**—श्री मोहम्मद इब्राहिम।

( प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित )

श्री चांदमल मेहता।

**प्रश्न संख्या १६६४**

**महाराजा किशनगढ़ मिल्स की स्थिति खराब होने से उत्पादन गिरना**

श्री **चांदमल मेहता**—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि महाराजा किशनगढ़ मिल्स की आर्थिक स्थिति गिरी हुई होने की वजह से उक्त मिल का उत्पादन दिनों दिन गिरता जा रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मिल्स के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार के मार्फत लोन प्राप्त करने का आवेदन-पत्र दाखिल किया है ?

(ग) उक्त आवेदन-पत्र किस तारीख को दाखिल हुआ ?

(घ) किन शर्तों पर लोन की मांग की गई है ?

(ङ) सरकार उस मांग पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री चंदनमल वैद** (उपमंत्री)—(क) हां कुछ गिर रही है।

(ख) हां।

(ग) पहला प्रार्थना-पत्र २६.११.५१ को प्राप्त हुआ और दूसरा प्रार्थना-पत्र २७-७-५३ को प्राप्त हुआ। उस पर जांच की जा कर इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली के पास भेजने के बाबत विचार हो रहा है।

[ श्री चन्दनमल वैद ]

(घ) श्री भगचन्दजी सोनी, श्री मगनमलजी और श्री हीरालाल पाटनी ने रकम वापिस देने का वायदा किया है कि किशनगढ़ मिल में १५ लाख के उनके हिस्से हैं वह कर्जे की जमानत के रूप में रखेंगे, और एक लाख रुपये की सालाना किश्त से रुपया जमा करेंगे। पूरी रकम के चुकता नहीं होने तक नये प्लान्ट पर गवर्नमेंट का कब्जा रहेगा।

(ङ) सरकार इन मांगों की जांच कर रही है।

**श्री चांदमल मेहता**—इस मामले को इतने वर्षों तक पेन्डिग रखने का क्या कारण है?

**श्री चंदनमल वैद**—पहला प्रर्थना-पत्र २०-११-५१ को प्राप्त हुआ था, उसको उचित उस वक्त नहीं माना गया है, उस पर विचार नहीं किया गया। दूसरा प्रार्थना-पत्र २७-७-५३ को आया उस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि उन्होंने मिल के शेयरों की सिक्योरिटी के अलावा पर्सनल सिक्योरिटी भी अपनी ओर से देने के लिए कहा है?

**श्री चंदनमल बैद**—यह मैंने जवाब के वक्त स्वीकार किया है।

**श्री चांदमल मेहता**—तो इतनी सिक्योरिटीज के बाद भी सरकार ३ साल तक इस मसले को पड़ा रखना वाजिब समझती है?

**श्री चंदनमल बैद**—सन् ५१ में उचित नहीं समझा गया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाय, क्योंकि उस वक्त मिल का उत्पादन घट नहीं रहा था बल्कि बढ़ रहा था। सन् ५३ में यह मालूम हुआ कि उत्पादन घट रहा है, तो इस दृष्टिकोण से विचार हो कर वह इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के पास भिजवा दिया जायगा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मंत्री महोदय कोई अवधि निश्चित कर सकते हैं, इस मामले को निबटाने की?

**श्री चंदनमल वैद**—ज्योंही जांच समाप्त हो जायगी, यह प्रार्थना-पत्र इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन को भेज दिया जायगा।

**श्री चांदमल मेहता**—अब तक क्यों नहीं किया गया है?

**श्री चंदनमल बैद**—यह पैसा देने का सवाल है। सारे दृष्टिकोणों को जानकर ही भेजा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इसी वजह से मिल में दिनों दिन मजदूरी कम होती जा रही है और यह मामला सरकार के सामने लाया गया है, लेकिन अब तक कोई विचार नहीं हुआ है ?

श्री चंदनमल बैद—५३ में यह मामला सामने आया है और सब दृष्टिकोणों से विचार किये जाने के पश्चात् ही उनके प्रार्थना-पत्र को आगे पेश किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १६६५

**राजस्थान में साबुन के कारखाने तथा ५३-५४ में साबुन का उत्पादन ।**

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान में साबुन के कितने कारखाने हैं ?

(ख) सन् ५३-५४ के वर्ष में राजस्थान में साबुन का कितना उत्पादन हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि साबुन के कारखानों को कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखने की जो सुविधा थी राजस्थान सरकार ने छीन ली है ?

(घ) यदि हां, तो उक्त सुविधा किस तारीख से छीनी गई है ?

(ङ) उक्त सुविधा के छीनने के क्या कारण हैं ?

श्री चंदनमल बैद (उपमंत्री)—राजस्थान में कल से चलने वाला कोई साबुन का कारखाना नहीं है । जो सूचना प्राप्त की गई है उसके अनुसार ६४ कारखाने हैं जिनमें बिना कल के साबुन तैयार होता है ।

(ख) इसके कोई आंकड़े नहीं हैं ।

(ग) हां,।

(घ) २२-१-५४ से ।

(ङ) गवर्नमेंट द्वारा दी हुई सुविधाओं से लोग बेजा फायदा उठाते थे इसलिए वे सुविधाएं बन्द कर दी गई हैं ।

# Page No.6



श्री **चांदमल मेहता**—क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि इन सुविधाओं को छीनने की वजह से जो बड़े बड़े कारखाने राजस्थान में कायम किये गये थे वे भी समाप्त हो रहे हैं ?

श्री **चंदनमल वैद** ( उपमंत्री )—नकली कारखाने समाप्त हो रहे हैं।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि नकली कारखानों के साथ साथ असली भी समाप्त होने जा रहे हैं !

श्री **चंदनमल वैद**—जो असली कारखाने हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि सचमुच में उनको कोई दिक्कत हो तो प्रार्थना-पत्र दें जिस पर कंसेशन देने के लिये विचार किया जायगा ।

श्री **चांदमल मेहता**—किन किन कारखानों को कंसेशन दिये गये हैं ?

श्री **चंदनमल वैद**—अब तक दिये नहीं गये हैं लेकिन जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उन पर विचार हो रहा है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या लीवर ब्रदर्स के मुकाबले में कोई कारखाना तब तक ठहर सकेगा जब तक उसको संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा ?

श्री **चंदनमल वैद**—जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या हंसा केमिकल के बार-बार आवेदन-पत्र देने पर भी उस पर विचार नहीं किया गया ?

श्री **चन्दनमल वैद**—उनके आवेदन पत्र पर विचार हो रहा है। बार-बार आवेदन पत्र देने का सवाल नहीं उठता। कुछ सूचनाएं आनी जरूरी थीं, अब उन्होंने सूचनाएं दे दीं हैं। अब उन पर विचार हो रहा है। कितना माल तैयार करते हैं, कितना तैयार कर सकते हैं आदि बातों पर विचार हो रहा है।

श्री **चांदमल मेहता**—कब से विचार शुरू हुआ और कब तक समाप्त होगा ?

श्री **चन्दनमल वैद**—जून के आखीर में शुरू हुआ और जल्दी ही समाप्त होगा।

**प्रश्न सं० १६९६**

**मुस्तकिल काश्तकारों से जिला भरतपुर की कामा पहाड़ी तहसीलों में भूमियें छीनना**

श्री **भगवानसिंह तरंगी**:—क्या पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

[ श्री भगवानसिंह तरंगी ]

क्या मुस्तकिल काश्तकारों से जिला भरतपुर की कामा, पहाड़ी वगैरह तहसीलों में जमीनें छीनी गई हैं ? यदि, हां तो किस कानून के तहत छीनी हैं ?

**श्री अमृतलाल यादव:** (पुनर्वास मंत्री)—मुस्तकिल काश्तकारों से कोई जमीनें नहीं छीनी गई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री मोहम्मद इब्राहिम**—एक मीटिंग में जमीन नहीं छीनने का तय होने के बावजूद भी जमीन क्यों छीनी गई है ?

**श्री अमृतलाल यादव:**—माननीय मित्र भी उस मीटिंग में मोजूद थे, उस में यह तय हुआ था कि सं २००३ के काश्तकारों से जमीन नहीं छीनी जाय। यह फैसला बहुत पहले हो चुका था। उसके माफिक अमल किया जा रहा है। इसके अनुसार जमीन छीनने का कोई सवाल नहीं है।

**श्री मोहम्मद इब्राहिम:**—जमीन छीनी गई है और छीनी जा रही है। नहीं छीनने के बारे में मीटिंग में फैसला भी हुआ था। मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या ऐसी मीटिंग की कार्यवाही गजट में शाया हुई थी या असेम्बली में पेश हुई थी।

**श्री अमृतलाल यादव:**—शायद यह मुगालता हुआ है। सं०२००३ के काश्तकार कौन हैं, यह फैसला भी गवर्नमेन्ट को करना पड़ता है, पटवारियों के रेकर्ड को देखकर या काश्तकर यह साबित करते हैं कि हम २००३ के काश्तकार हैं, तो उनसे जमीन नहीं छीनी जाती है। यदि आपके यह ध्यान में है कि फलां आदमी से जमीन छीनी गई थी, तो आप बतायें, पूरी व्यवस्था की जायगी।

**श्री मोहम्मद इब्राहिम**—क्या मीटिंग की कार्यवाही गजट में शाया होती है ?

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन।

**प्रश्न संख्या १६६७**

**राजस्थान सरकार के विभिन्न कारखानों में शेअर्स**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान सरकार के किस किस कारखाने के कितने कितने रूपये के शेअर्स हैं ?

(ख) उक्त शेअर्स में से, राजस्थान के निर्माण के बाद खरीद किये गये किस किस कारखाने के कितने कितने शेअर्स हैं ?

# Page No.8



[ श्री चांदमल मेहता ]

(ग) राजस्थान सरकार को पिछले ५ वर्षों में उक्त शेअर्स से डिविडेन्ड के रूप में कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(घ) किस किस कारखने में राजस्थान सरकार की तरफ से डाइरेक्टर मुकर्रर है ?

**श्री चन्दनमल वैद** (उप मंत्री)—(क) कृपया बजट मेमोरेन्डम १९५४-५५ देखें।

(ख) कोई नहीं.

(ग) डिविडेन्ड के रूप में केवल जिप्सम लि०, बीकानेर से ही आमदनी हुई है जो इस प्रकार है।

| | |
|---|---|
| १९५१ | १५,००० |
| १९५२ | १५,००० |
| १९५३ | १८,७५० |

घ. सरकार की तरफ से इन नीचे लिखे कारखानों में डाईरेक्टर नियुक्त है :

१. इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि०, बम्बई

२. बीकानेर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, श्री गंगानगर

३. मान इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, जयपुर

४. जिप्सम लि०, बीकानेर

५. ग्लास वर्क्स लि०, भरतपुर

६. धोलपुर ग्लास वर्क्स लि०, धोलपुर

७. सार्दूल टैक्सटाइल लि०, श्री गंगानगर

८. जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीनिंग मिल्स लि., जयपुर

**श्री चांदमल मेहता**—ऐसे कितने कारखाने हैं जिन में सरकार के काफी शेअर होते हुए भी सरकार की ओर से कोई डाइरेक्टर नहीं हैं ?

**श्री अध्यक्ष**—आपका ध्यान बजट मेमोरेन्डम की ओर आकर्षित किया है।

# Page No.9



**श्री चांदमल मेहता**—इस में तो जहां जहां डाइरेक्टर्स हैं उनके नाम बताये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किन किन में शेअर होते हुए भी डाइरेक्टर्स नहीं हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद**—इनके अलावा जितने भी कारखाने हैं, जिनमें गवर्नमेंट शेअर्स है, उनमें गवर्नमेन्ट के डाइरेक्टर्स नहीं है।

**श्री चांदमल मेहता**—जिन में सरकारी डाइरेक्टर्स नहीं हैं और जिनमें ५ लाख से ज्यादा के शेअर्स सरकार के हैं, वैसे कितने कारखाने हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद**—यह भी बजट मेमोरेन्डम में आया है। उससे आपको पता लग जायेगा।

**श्री चांदमल मेहता**—उनमें डाइरेक्टर्स नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद**—जब उनके साथ कांट्रेक्ट हुआ उस समय उनके साथ डाइरेक्टर रखने की शर्त नहीं की गई थी, इसलिये नहीं रखे गये।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या सरकार का अब विचार है डाइरेक्टर्स रखने का ?

**श्री चन्दनमल वैद**—इस बार इस बात का अब सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जब कांटेक्ट किया गया उस समय ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी।

### प्रश्न सं० १६६८

### अराई की डिस्पेंसरी में राजस्थान निर्माण के पश्चात् दवाइयें भेजना

**श्री चांदमल मेहता**—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) अराई की डिस्पेन्सरी में राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस साल में कितने कितने रूपये की दवाइयें भेजी गई हैं ?

(ख) उक्त डिस्पेन्सरी में उक्त वर्षों में स्वीकृत रकम कितनी कितनी थी ?

**श्री कुंभाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)**—(क) अराई डिस्पेन्सरी में राजस्थान निर्माण के बाद भेजी गई दवाइयों की सूची निम्न है।

| | | |
|---|---|---|
| सन् ५१-५२ | ७०० रू. | ११-६-५१ |
| ५२-५३ | ६३५ रू. | १३-११-५२ |
| ५३-५४ | ६७६ रू. | २६-७-५३ |

# Page No.10



[ श्री कुम्भाराम आर्य ]

सन् ५१ से पहले अलग अलग बजट नहीं बनाया जाता था, जितनी दवाइयों की डिस्पेन्सरीज़ को जरूरत होती थी उनको उनके इन्डेन्ट के अनुसार भेज दी जाती थीं। अब अलग बजट बन गया है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या ये दवाइयां डिस्पेन्सरीज़ बाला-बाला खरीदती है या जयपुर से भेजी जाती हैं?

**श्री कुंभाराम**—जयपुर से भेजी जाती हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—जपुर से भेजी जाने वाली दवाइयां क्या आरांई पहुँची या नहीं, क्या इसकी जांच करवाई गई है?

**श्री कुंभाराम आर्य**—पहुँची हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या माननीय मंत्रीजी को यह जानकारी है कि डिस्पेन्सरी में लोगों लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं और आम तौर से डाक्टर कहते हैं कि हमारे यहां दवाइयां कई वर्षों से आ नहीं रही हैं?

**श्री कुंभाराम आर्य**—दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत नहीं है और डाक्टर ऐसा नहीं कह सकते।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी से लोगों को दवाई नहीं मिलने के कारण निराश होकर लौटना पड़ता है?

**श्री कुंभाराम**—नहीं निराश होकर नहीं जाते। होस्पिटल में आया हुआ आदमी आशा और विश्वास लेकर जाता है।

**श्री जवानसिंह**—विश्वास के साथ दवाई नहीं मिलने के कारण लौट जाता है।

**श्री कुंभाराम आर्य**—दवाई मिलती है, इसलिये लोग आते हैं।

**श्री जवानसिंह**—क्या इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि वहां दवाइयां वाकई नहीं मिलतीं?

**श्री कुंभाराम**—जहां से शिकायत आती है वहां फौरन देखा जाता है।

**श्री जवानसिंह**—क्या प्रश्न आने के बाद जांच करवाई गई हैं?

श्री कुंभाराम—मैं समझा नहीं।

श्री जवानसिंह—समझ तो मिलती नहीं बाजार में लेकिन क्या आप फिर विचार करेंगे कि दवाई नहीं मिलने का क्या कारण है ? क्या इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री कुंभाराम—पहले जांच करवा चुका हूँ। दवाई पहुँच गई है।

श्री जवानसिंह—क्या प्रश्न आने के बाद पहुँची ?

श्री कुंभाराम—पहले पहुँच चुकी है। दो-तीन साल से लगातार पहुँचती हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या धौलपुर में दवाइयां नहीं होने से मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—अरांई से धौलपुर तक आ गये ?

श्री कुंभाराम आर्य—दवाइयां नहीं होने की वजह से मलेरिया नहीं फैला है।

### प्रश्न संख्या १६९९

### राजस्थान सरकार के विभिन्न उद्योगों में पूंजी तथा उन कारखानों से हानि-लाभ

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार की कितनी कितनी पूंजी किस किस उद्योग में लगी हुई है ?

(ख) उक्त पूंजी में राजस्थान के निर्माण के बाद लगाई गई कितनी कितनी पूंजी किस किस कारखानों में हैं ?

(ग) राजस्थान सरकार को पिछले ५ वर्षों में किस किस कारखाने से कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(घ) ऐसे कितने कारखाने हैं जो घाटे में चल रहे हैं ? उन कारखानों में राजस्थान के निर्माण के बाद किस किस साल में कितना कितना घाटा रहा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री)—(क) राजस्थान सरकार की पूंजी इन कारखानों में इस प्रकार लगी हुई है :

सोडियम सल, फेट वर्क्स, मारवाड बाजिया (जोधपुर) १ लाख रुपया।

कोटन व जीनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों में करीब २० लाख मशीन व बिल्डिंग पर लगे हुये टेस्ट हैं ऑइल मिल कोटा और जोधपुर की ऑइल फैक्ट्री पर इस प्रकार रुपया लगा हुआ हैं...

[ श्री चन्दनमल वैद ]

| मशीनरी | बिल्डिंग्स |
|---|---|
| १,२६,१६०-११-६ | ५४,४८२-३-१ |

व बीकानेर की आईस फेक्ट्री व टोंक की आईस फैक्ट्रियों में करीब २ लाख रुपया लगा हुआ है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

(घ) गवर्नमेंट कोटन फैक्ट्री शाहपुरा व जोधपुर व बीकानेर की आईस व एरीगेटेड वाटर फैक्ट्री में घाटा है।

| सन् | शाहपुरा | जोधपुर | बीकानेर |
|---|---|---|---|
| ४९.५० | ७,३६४ रु० | २४,४९३ रु० | ८,७३६ रु० |
| ५०.५१ | . | ५०,६६५ . | २,४७० |
| ५१.५२ | . | ३६,८७५ . | ३,८४० |
| ५२.५३ | . | २६,६८३ रु० | × |

**श्री चांदमल मेहता**—जिन जिन कारखानों में जिन जिन सालों में घाटा बतलाया गया है क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन घाटों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कोई जांच की थी कि किस वजह से वहां घाटा आया ?

**श्री चन्दनमल वैद**—जांच करने से मालूम हुआ है कि ये कारखाने इकोनॉमिक नहीं हैं, इसलिये यह सवाल विचाराधीन है कि ये कारखाने चालू रखे जांय या नहीं।

**श्री चांदमल मेहता**—इनमें से कई एक कारखाने ऐसे हैं कि एक कारखाने में क साल नफा रहा और दूसरी साल एक कारखाने में घाटा रहा, तो क्या सभी कारखानों को घाटे में माना है ?

**श्री चन्दनमल वैद**—व्यापार में हर साल मुनाफा हो, ऐसी बात नहीं है, कभी पिछली साल घाटे में रहा तो अगली साल मुनाफे में, एक साल मुनाफे में तो दूसरी साल घाटे में रहे तो इससे नफे और घाटे का पता नहीं चलता। इसके लिये तीन-चार साल तक देखने के बाद मालूम होता है कि यह कारखाना इकोनोमिक है कि नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसी कारखाने मे अव्यवस्था के कारण भी घाटा रहा ?

श्री चन्दनमल वैद—नहीं एक भी कारखाने में अव्यवस्था के कारण घाटा नहीं रहा।

श्री चांदमल मेहता—इस की जांच के लिये किन किन को नियुक्त किया गया?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी जांच के लिये सरकार की तरफ से अधिकारी नियुक्त हैं जो कारखानों के घाटों मुनाफों को देखते हैं कि घाटा लापरवाही या अव्यवस्था के कारण हुआ है या वह कारखाना ही इकोनोमिक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्थान सरकार की पूंजी लगी ?

श्री चन्दनमल वैद—कुछ पहले लगी, बाद में नहीं। इसका मुआहदा राजस्थान बनने से पहले कर लिया गया था।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान बनने के बादराजस्थान सरकार की कितनी पूंजी लगी थी ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका मुआहदा राजस्थान बनने से पहले कर लिया गया था. इसलिये बाद में दी गई ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री में राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार ने कितनी पूजी लगाई ? मेरा प्रश्न यह है।

श्री चन्दनमल वैद—यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सम्बन्धित तो है, इसमें पूछा गया है। माननीय मंत्री महोदय जवाब नहीं देना चाहें तो अलग बात है।

श्री चांदमल मेहता—वह प्रश्न दूसरा था, यह प्रश्न दूसरा है, पहले में शेअर्स का सवाल हैं इसमे पूंजी लगाने का सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—शेअर्स हैं तो क्या पूजी नहीं लगी हैं।

श्री चन्दनमल वैद—जी हां, केवल शेअर्स है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जो रकम दी है वह किस शर्त पर दी है।

श्री अध्यक्ष—वो तो बताया है कि अलग अलग कन्ट्रेक्ट हुए है।

# Page No.14



श्री चन्दनमल वैद—अलग अलग तरह के मुआहदे हुए हैं । अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे, इस समय नहीं, तो बाद में तो, इसका उत्तर दिया जायगा ।

श्री सन्तोषसिंह—अगर रकम डूब गई तो गवर्नमेंट इसका क्या इन्तजाम करेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जयचन्द्र मोहिल । Questions are over.

( अनुपस्थित )

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्दशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

श्री भैंरूसिंह विभाजन संख्या १३—दिनांक ३० अगस्त, १९५४ से ३१ अगस्त ५४ तक ।

श्री अमरसिंह—३० दिनांक ३० अगस्त, १९५४ से ७ सितम्बर १९५४ ।

श्री श्रीदास गोयल ३ सितम्बर सन् १९५४ से आगे तक ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

( सदन द्वारा अनुमति दी गई )

आज्ञा प्रदान की गई ।

## राजस्थान कृषि भू-धारण-विधेयक, १९५३

Yes, further consideration of the Rajasthan Tenancy Bill; Clause 53.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ५३ के बारे में यह चर्चा की गई थी कि जो अमेंडमेंट माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने रखा है उसकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि क्लॉज़ ७८ और ७९ जो इसके बारे में दिये हुए हैं कि वह केश में अपने रेंट्स कम्यूट करा सकता है, फिर अलग तौर से इम्प्रूवमेंट के साथ उसके देने की जरूरत नहीं है । यह सही है कि क्लॉज़ ७८ और ७९ के जरिये कोई भी काश्तकार चाहे तो अपने काइन्ड रेंट्स को केश रेन्ट में कॉम्यूट करा सकता है, पर इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाय तो भी कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इससे स्पष्ट तौर से जाहिर हो जायगा कि इम्प्रूवमेंट करने की वजह से उसके रेन्ट को केश

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

में काम्यूट किया जाय । इसलिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

दूसरा अमेंडमेंट था श्री तनसिंहजी का ; वह जहां तक मेरा खयाल है मूव नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन ५३ के अन्तर्गत श्री श्रीदासजी गोयल ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५३ के अन्तर्गत श्री श्रीदासजी गोयल का संशोधन स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ५३, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

खन्ड ५३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

( विराम )

**क्लॉज़ ५३ ए**

( विराम )

That was adopted by the House earlier.

( विराम )

**खण्ड ५४**

So we come to clause 54. Shri Shiridas Goed.

( अनुपस्थित )

**श्री श्यामलाल गोयल**—श्री श्रीदास गोयल यहां नहीं हैं। मैंने २ अमेंडमेंट मूव किये हैं उनका नोटिस कल दे चुका हूं। क्योंकि नोटिस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मिल चुका है, इस लिये उन अमेंडमेंट्स को मुझे मूव कर ने की इजाजत हो।

**श्री अध्यक्ष**—Order ! Order !! श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

( अनुपस्थित )

श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५४ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं। मैंने इन अमेंडमेंट्स द्वारा सिर्फ लेंग्वेज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की है। इन अमेंडमेंट्स से इस क्लॉज़ के सिद्धांतों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता। क्लॉज़ ५४ इस तरह से बिगिन होता है :

"A tenant who has made in accordance with the provisions of this Act, an improvement which he is entitled to make shall be entitled to compensation in the following cases, namely:—

इसमें "for the words, 'A tenant who has made, in accordance with the provisions of this Act an improvement which he is entitled to make', the following words be substituted:—

'A tenant who has made an improvement under the provision of this Act.'"

तो मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट द्वारा लेंग्वेज को करेक्ट किया गया है। इसके सिवाय और कुछ नहीं किया गया है।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट पार्ट ३ में है, जो इस तरह है : "In part (c) of the proviso for the words, 'which has been rendered useless' the words, 'which in the opinion of the Sub-Divisional Officer has ceased to be useful' be substituted."

मेरे दूसरे अमेन्डमेन्ट से भी कोई प्रिन्सिपल पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इन दोनों अमेंडमेंट्स को माननीय मंत्री मंजूर करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो अभी अमेंडमेंट्स मूव किये हैं वे मुझे स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री श्यामलाल गोयल ने क्लॉज़ ५४ के अन्तर्गत जो संशोधन रखे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृत किये हैं उनको स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

[ श्री अध्यक्ष ]

संशोधन स्वीकार किये गये।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ५४ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

खण्ड ५४, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खंड ५५, श्री श्रीदास गोयल।

( विराम )

( श्री श्यामलाल गोयल से ) आपका इस पर कोई संशोधन नहीं है, आपका तो ५६ पर है।

**श्री श्यामलाल गोयल**—मेरा संशोधन है। मेरा एक यह भी संशोधन है कि "५५" के बजाय "५६" print हो गया है उसको ५५ किया जाय।

( विराम )

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५५ पर मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"In clause 55—In sub-clause (1) after item (iii) the following item be inserted, namely:—

'(iv) to such other matters as may be prescribed."

दफा ५४ में एमाउन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन किस तरह से डिटर्मिन किया जावेगा, वे सब शक्लें दी गई हैं और इसमें सब क्लॉज़ (३) दिये हुए हैं।

"(1) any reduction or remission of rent or any other advantage to the tenant in consideration of the work.

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

(2) any assistance given to the tenant by the land-holder in money, material or labour, and

(3) in the case of reclamation or the conversion of unirrigated to irrigated land, the length of time during which the party claiming compensation has had the benefit of the improvement."

लेकिन इसके अलावा और भी शक्लें हो सकती हैं जिनकी कम्पेन्सेशन को डिटर्मिन करते समय जरूरत हो सकती है। इसलिये यह प्रोविज़ो और बढ़ा दिया जावे, यह मैंने अपने अमेंडमेंट में रखा है :

"( iv ) to such other matters as may be prescribed."

दूसरा अमेंडमेंट मेरा यह है :

For sub-clause ( 2 ) the following be substituted, namely: मूल सब-क्लॉज़ ( २ ) इस तरह से है:

"( 2 )When an improvement benefits the land from which a tenant has been ejected or wrongfully dispossessed and also other land in his possession, compensation shall be determined with reference to the extent to which the first mentioned land has been benefitted by such work.

इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं होने से मैंने जो अमेंडमेंट रखा वह इस प्रकार है :

"for sub-clause ( 2 ) the following be substituted, namely--

'( 2 ) When an improvement made by a tenant benefits--

( a ) the land from which he has been ejected or wrongfully dispossessed, and

( b ) other land in his possession; compensation shall be determined by referenceto the extent to which the land mentioned in sub-clause ( a ) has been benefitted by such improvement."

मैं समझता हूं कि इन अमेंडमेंट्स को माननीय मंत्री मंजूर करेंगे और उनको मंजूर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, मेरे किसी मित्र को इसमें आपत्ति नहीं है तो मैं भी इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखे हैं और मंत्री महोदय ने स्वीकार किये हैं, वे स्वीकार किये जावें।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किये गये।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ५५ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

खण्ड ५५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खंड ५६

There are no amendment to this clause.

श्री भैंरूसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस पर कुछ बोलना है।

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री भैंरुसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, खण्ड ५६ में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि किसी जमीन पर, जिस पर काश्तकार या लेन्ड होल्डर काबिज हो और उसके कब्जा रहने की स्थिति में वह जमीन किसी एग्जीक्युशन ऑफ डिक्री में या किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी जावे तो उसके साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट किया है उन पर भी व्यक्ति का अधिकार होगा।

लेकिन उसमें दो शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त तो यह है कि यदि कोई काश्तकार उस जमीन को जो कि किसी जमीन को बेचने वाले के कब्जे में चली गई है और इम्प्रूवमेन्ट्स भी कब्जे में चले जाते हैं तो काश्तकार को हक होगा कि बाकी जितनी जमीन उसके पास है उसमें इम्प्रूवमेंट्स का फायदा हासिल करता रहा और दूसरी प्रकार की शर्त यह है कि यदि कोई लेन्ड होल्डर जमीन को बेचता हो और बेचने के बाद यदि थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो उसके अलावा जिस हिस्से में इम्प्रूवमेन्ट्स किये गये हैं उस हिस्से में इम्प्रूवमेंन्ट्स के जरिए फायदा हासिल कर सकेगा। लेकिन इसमें गम्भीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न तो यह उत्पन्न होता है कि यदि किसी जमीन के हिस्से को बेच दिया गया है तो कहीं वह अलग फ्रेग्मेन्ट तो नहीं बनता है और अगर फ्रेग्मेन्ट बनता है और बाद में इम्प्रवमेन्ट्स के जरिये फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रकार की

[ श्री भैरूंसिंह ]

कार्यवाही से वह इकोनॉमिक होल्डिंग रहता है या अन इकोनॉमिक होल्डिंग रहता है ? यदि इन दोनों चीजों को सामने रखते हैं तो एक जटिल समस्या यह बन जाती है कि जब जमीन बेच दी और इम्प्रूवमेन्ट्स जो थे वे भी बेच दिये और महज लेन्ड होल्डर का अधिकार रखा है कि जमीन बेचने के बाद भी, इम्प्रूवमेंट्स के बेचने के बाद भी, उस जमीन में इम्प्रूवमेंट्स का फायदा उठा सकेगा तो हमारे सामने उन समस्याओं का प्रश्न रहता है जिसका बार बार इस सदन में भी जिक्र आया है। इस सदन में नाल बन्ट का प्रश्न उत्पन्न हुआ था। इस सम्बन्ध में न तो स्पष्ट विचारधारा पूरी सदन के सामने आयी है और न ही यह सदन उस स्थिति पर पहुंच सका है जिसके बारे में यह सदन स्पष्ट विचारधारा बना ले। वैसी परिस्थिति में विचार यही आता है कि यदि किसी ने जमीन, कूआ बेच दिया है और फिर भी उसके आस पास तीन-चार बीघा जमीन या तीन चार एकड़ जमीन बच जाती है तो हम इस कानून के जरिये से यह अधिकार जरूर दे देते हैं कि सिंचाई करेंगे लेकिन सिंचाई एक प्रकार से नहीं होती है। सिंचाई के साधनों में यदि उसका हिस्सा रखा जाता है तो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। कुए में कई प्रकार के कुए ऐसे होते हैं कि जिनमें दो ढाने नहीं हो सकते हैं, एक जगह से सिंचाई होगी। टाइम का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, इससे भी रोक सकते हैं। जो जमीन पर्चेज़र के पास ट्रान्सफर हुई है तो पहले वह सिंचाई करेगा। वह कहेगा कि नहीं मैं करूंगा। तो इस प्रकार से झगड़े पैदा होने की आशंका है और होंगे। काश्तकार यह समझेगा कि जल्दी से जल्दी सिंचाई मैं करूं और जिसको जमीन बेच दी गई है, इम्प्रूवमेंट्स बेच दिये गये हैं वह यह कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी सिंचाई के साधन मैं जुटाऊं, ताकि फसल का फायदा मैं उठा सकूं।

इस विषय में मैंने संशोधन मूव नहीं किया है किंतु मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रकार के झगड़ों को दूर करने के लिए इसमें ऐसे लब्ज़ रखें ताकि झगड़े पैदा न हों। फ्रेगमेन्टेशन का जो एक्ट बना है उसके आधार पर इस प्रकार की जमीन बेचने के बाद अनइकॉनोमिक होल्डिंग रहती है या नहीं, एक फ्रेगमेंट बनता है या नहीं, उसको ठीक रख कर जिसको जमीन दी जाय उस आदमी को तो अधिकार दे दें जिससे जमीन में सिंचाई करके प्रोडक्शन बढ़ाता रहे। यदि इस प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो लाजमी तौर पर जिस जगह जमीन बेच दी गई है, इम्प्रूवमेंट्स बेच दिये गये हैं, कम्पेन्सेशन ले लिया है तो फिर उस प्रकार के झगड़े हर जगह होंगे, हर कुए पर होंगे और हर इम्प्रूवमेंट के बारे में होंगे। तो इस पर सोच-समझ कर इसको पास किया जाना चाहिये। वे चाहें तो मैं मेरी तरफ से अमेन्डमेन्ट मूव कर दूं और यदि वे चाहें तो वे ही इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर लें, ताकि झगड़े मिट सकें और दोनों पार्टियों को राहत मिल सके।

**श्री अध्यक्ष**—श्री घीसीसिंह।

**श्री घीसीसिंह**—अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम श्री भैरोंसिंह जी ने पेश की है....

# Page No.21



श्री **चांदमल मेहता**—तरमीम कहां पेश की है ?

श्री **अध्यक्ष**—सुझाव दिया है।

श्री **घीसीसिंह**—जो सुझाव पेश किया है कि जमीन बेचने पर जमीन वाले के पास जमीन रह जायगी और कुए से सिंचाई होगी तो झगड़े होंगे। लेकिन मेरे खयाल से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। उसका कुए में हिस्सा रह जाता है। हमारे यहां यदि २० बीघा जमीन है तो १।४ हिस्सा रह जाता है। किसी का १।२ रह जाता है और बारी बारी से सिंचाई कर लेते हैं और इसलिए कोई दिक्कत कुओं से सिंचाई में नहीं आ सकती है। नम्बर होते हैं। उनका यह सुझाव है कि झगड़े होंगे। मेरे खयाल से तो कोई झगड़े नहीं होंगे। नम्बरवार अपने अपने कुओं से काश्तकार और लेन्ड होल्डर करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज़ पर दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका समावेश तो होता नहीं। आगे उस पर विशेष रूप से विचार करने की बात रहती है। यहां पर तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। मेरा प्रस्ताव है कि फ्रेग्मेन्ट न हो। मूल खण्ड जैसा है यहां उसको वैसा ही स्वीकार किया जाय और फिर आगे जैसी परिस्थिति हो वहां पर वैसी कार्यवाही की जाय।

श्री **भैरुसिंह**—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस क्लॉज़ को थोड़ा पेन्डिंग रख दें ताकि मैं इस सम्बन्ध में एक अमेन्डमेन्ट रख दूं जिससे सारे खण्ड पर विचार किया जा सके और वह उसको कवर कर सके।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—I think we can pass it.

श्री **अध्यक्ष**—Should I put it to vote ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—Yes.

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खण्ड ५६ स्वीकार किया जाय ?

**( स्वीकृत )**

खंड ५६ बिल में अंग रूप में जोड़ा गया।

**खंड ५७**

श्री श्रीदास गोयल

**( अनुपस्थित )**

[ श्री अध्यक्ष ]

श्री तनसिंह

( अनुपस्थित )

श्री श्यामलाल गोयल

श्री श्यामलाल गोयल—क्लॉज़ ५७ में काश्तकारों को यह सहूलियत दी गई है कि अगर वे चाहें तो इम्प्रूवमेंट्स में जितना खर्चा हुआ है उसको एस. डी. ओ. से जाकर रजिस्टर करा लें और अगर ऐसा होता है तो आयन्दा जाकर जिस वक्त इम्प्रूवमेंट्स के सिलसिले में कम्पेन्सेशन डिटर्मिन करने का समय आयगा तो उस समय उस रजिस्टर्ड क्लेम को मान लिया जायगा । सब क्लॉज़ (१) जो है उसमें छोटासा अमेंडमेंट है और वह काश्तकारों की सुविधा के लिए है । ओरिजिनल क्लॉज़ जो है वह इस प्रकार है :

"57--Registration of outlay on improvement.--

( 1 ) If either a landholder other than the State Government or a tenant desires that the amount expended on an improvement should be determined, the Sub-Divisional Officer shall, on application made to him for the purpose and after due notice to the other party, determine the amount of the outlay and enter it in a register kept in the prescribed form."

श्री श्यामलाल गोयल—इस क्लॉज़ को सबस्टीट्यूड करके मैंने इस तरह का अमेन्डमेंट पेश किया है ।

"( 1 ) If a land-holder, other than the State Government or a tenant desires that the amount expended on any improvement should be determined, the Sub-Divisional Officer shall, on application made to him for the purpose and after affording a reasonable opportunity to the other party of being heard and after making such inquiries as he thinks fit, determine the amount of the outlay and enter it in a register kept in the prescribed form."

इस अमेन्डमेन्ट की इसलिये जरूरत हुई है कि मूल क्लॉज़ जो ५७ है उसमें महज इतना सा प्रोवीजन रखा गया है कि उस कम्पेनेसेशन को डिटर्मिन करते समय कन्सर्निंग पार्टी को नोटिस दिया जायगा । जब प्रोवीजन कर रहे हैं और इसमें केवल इतना मात्र कह देना कि नोटिस दे दिया जायगा काफी नहीं है । बल्कि यह भी हो कि पार्टी अफेक्टेड है, उसको मौका दिया जाय अगर उसको कोई ओब्जेक्शन हो तो उसके लिये इनक्वायरी की जाय, यह भी होना आवश्यक है । साधारणत: यह कम्पेनसेशन तय करने के लिये बनाया गया है । इस पर भी गौर करना जरूरी है, इसलिये कि

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

आयन्दा चलकर कोई झगड़ा न हो क्योंकि उसका कम्पेनसेशन रजिस्टर हो जायगा तो जो पार्टी अफेक्टेड है उसको फुल अपॉर्च्युनिटी मिल जाय। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और आशा है कि इसको मन्जूर किये जाने में कोई ऐतराज नहीं होगा।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय अध्यक्ष, मुझे इसको मानने में कोई एतराज नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

**श्री हिम्मतसिंह अटरू**—माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में तो यह बिल्कुल बेकार का प्रोविजन रखा जा रहा है। न इस प्रकार के रजिस्टर मेन्टेन होंगे और न उसकी कोई वेल्यु ही होगी। माननीय सदस्य का जहां तक संम्बन्ध है, उनके कहने का जो तात्पर्य है उससे यह निकलता है कि उसके लिये पीटी कोर्ट में जाता है, वैसे ही अपील होकर के उसकी वेल्यूएशन हो जाती है। रजिस्टर मेन्टेन करना कोई आसान बात नहीं इससे और तवालत पैदा हो जायगी, न मालूम इसके कुछ परिणाम भी निकल सकते हैं। इसलिये मेरे ख्याल से तो इसका कोई यूज़ तो होने वाला नहीं है, जो इसको स्वीकार किया जाय। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यह कोई साउन्ड नज़र नहीं आता।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं तो इस पर अपनी राय दे चुका हूं। रजिस्टर रखने में कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है, रजिस्टर केवल उनका मेन्टेन किया जायगा जिसका वेल्यूएशन डिटमीन करना हो।

**श्री अध्यक्ष**—श्री तनसिंह।

**( अनुपस्थित )**

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय अध्यक्ष, वे हैं नहीं किन्तु मुझे इसको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह**—सब डिवीजनल आफिसर की जगह तहसीलदार कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—unles He has not moved it. I am helpless unless you accepet it.

**श्री अध्यक्ष**—( श्री तनसिंह को संबोधन करते हुए ) Your amendment to clause 57, I take as accepted by the Treasury Benches and so the question is that the amendment moved by Shri Tansingh be accepted.

प्रश्न यह है कि क्या श्री तनसिंह द्वारा दिया हुआ अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

जो संशोधन श्री तनसिंह जी द्वारा रखा गया है उसे स्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने रखा है, जिसमें सब डिवीजनल आफिसर की जगह तहसीलदार कर दिया जाय, इसको स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया जाता है

क्लॉज़ ५७ को संशोधित रूप से बिल का अंगभूत स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५७ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया.

( विराम )

Clause 57 A Amendment by Shri Tansingh. We take it as moved.

प्रश्न यह है, क्लॉज़ ५७ ए पर जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया

**श्री श्यामलाल गोयल**—माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है ५७ ए का जो जी क्लॉज़ है :

"(g) the right to the benefit of an improvement under section 56."

तो इस सब क्लॉज़ में अन्डर क्लॉज़ ५६ अधिकार दिया गया है उससे जो राइट लोग-बागों का है, वह राइट डिटर्मिन करने का है वह लिमिट कर दिया है। इसके अन्तर्गत जो

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

डिसप्युट इम्प्रूवमेंट से फायदा उठाने के हक की बाबत होगा वह धारा (५६) तक सीमित किया है उतना ही डिटर्मिन किया जायेगा। मान लीजिये दो काश्तकारों में आपस में झगड़ा है; एक कहता है कि कुए में हिस्सा पाने का एन्टाइटल्ड हूं, दूसरा इन्कार करता है; इसी तरह से तालाब के लिये भी झगड़ा है कि एक कहता है कि मैं इसका एनटाइटल्ड हूं दूसरा कहता है कि मैं हूँ। तो ऐसे केसेज़ के लिये ५७ ए में कोई प्रोवीजन नहीं है। इसमें जो ५६ क्लॉज़ दर्ज है इन शब्दों को हटा देने से यह मतलब हल हो जाता है। दफा ५६ के अन्तर्गत कोई डिस्प्यूट होगा तो वह आ ही जायेगा इसके अलावा भी इस तरह के कोई डिसप्यूट होंगे तो वे भी इसमें समाविष्ट हो जायेंगे। मेरे सुझाव को अगर माननीय मंत्री महोदय मानते हैं तो मैं इसे अमेन्डमेंट के रूप में प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं। इसमें प्रीन्सीपल की कोई बात नहीं है इसमें हर तरह के डिस्प्यूट का समावेश हो जायगा। मेरा इतना सा ही अमेन्डमेंट है, आशा है माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— Perhaps the Hon'ble Member means to delete the words, 'under section 56'. If these words are deleted there will be no difficulty. But I think this has been specially given.

यह इम्प्रूवमेन्ट के लिए है। इसका जो क्लाज है वह इम्प्रूवमेन्टस को डील करता है।

श्री अध्यक्ष—This relates to improvements and not to disputes.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, यह सेक्शन डिस्प्यूट एज़ रिगार्ड्स इम्प्रूवमेन्टस... और इसका जो जी भाग है वह है दी राइट टू....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—"(g)the right to the benefit of an improvemert" Section 56 also deals with improvements.

श्री श्यामलाल गोयल—Disputes as regards improvement. The question arises as to right to the benefit of an improvement under section 56.

इसमें अगर ५६ रखते हैं तो जो डिसप्यूट ५६ के अन्तर्गत लेन्ड के होल्डिंग के पर्चेज में जो कुछ झगडे होंगे उनको डिसाइड कर दिया जायगा। राइट टू एन इम्प्रूवमेन्ट के लिये एक काश्तकार और दूसरे काश्तकार में झगड़ा हो जाता है तो उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता, ऐसा इस ऐक्ट में कोई प्रोवीजन नहीं है। एक कुआ है उसके लिये एक काश्तकार कहता है इसमे मैं एनटाइटल्ड हूँ, दूसरा कहता है कि इसके लिये मैं एनटाइटल्ड हूं; ऐसा अगर कोई डिसप्यूट होता है इसके लिये कौन एनटाइटल्ड है; who has the right to irrigate the land ? इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है; तालाब के लिये भी इस प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिये अन्डर सेक्शन ५६ हटा देने से कोई नुकसान नहीं है।

# Page No.26



[ श्री श्यामलाल गोयल ]

क्लॉज़ ५६ के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट का जो राइट है वह तो डिसाइड हो जायगा।

There should be no difficultsy...

श्री अध्यक्ष—I d n: think is very material. I think there should be no diff:culty

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—मैं समझता हूं जैसी कि मूलधारा है वैसी ही रहने दी जाय।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है क्लॉज़ ५७ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५७ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

**श्री अध्यक्ष**—क्लॉज़ ५८।

**श्री चांदमल मेहता**—Mr. speeker, sir, I beg to move the following amendments to clause 58:-

( a ) Delete the word 'Khatedar' in line one of sub-clause ( 1 ].

( b ) Delete the words 'provided......holding' in sub-clause ( 1 ).

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५८ के सब क्लॉज़ (१) में मेरे दो संशोधन हैं। सब क्लॉज़ (१) इस प्रकार है :

"A Khatedar tenant may plant trees on his holding provided such tenant contjlnues to pay the full rent for the holding."

इसमें मेरा पहला अमेन्डमेंट खातेदार शब्द को डिलीट कराने का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मातहत सिर्फ 'खातेदार' टीनेन्ट को ही अपनी होल्डिंग में पेड़ लगाने की इजाजत दी है। लेकिन यहां इस तरह का निश्चय किया जा चुका है कि हम

[ श्री चांदमल मेहता ]

सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्तका खातेदारी राइट्स भी देंगे । तो जब हम खातेदारी राइट्स उन को देने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी जमीन में पेड़ लगाने की इजाजत भी होनी चाहिये । उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपनी जमीन में पेड़ लगा सकें । दूसरी बात जहां तक पेड़ का सम्बन्ध है काफी रुपया प्रतिवर्ष इसके लिए सरकार स्वयं खर्च करती है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाये जायें, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि सब टीनेन्ट को और टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को भी अपनी होल्डिंग में पेड़ लगाने की इजाजत न दी जाय ।

यह कहा जा सकता है कि पेड लगाने से खेती को नुकसान होगा । तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के नुक्सान के बारे में सोचना बेबुनियादी है । पेड़ लगाने में काश्तकार को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और बहुत सतर्क भी रहना पड़ता है, उसकी पूरी पूरी देखभाल करनी होती है तो अगर काश्तकार इसको नुक्सानदेह समझता होगा तो इतनी मेहनत क्यों करे, पर चूंकि वह मन लगाकर मिहनत करता है तो इससे साबित होता है कि इससे खेती को कोई नुक्सान नहीं होता । तो इस तरह खातेदार टिनेन्ट को ही पेड़ लगाने का अधिकार हो और सब टिनेन्ट को और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को न हो, यह नहीं होना चाहिये ।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि 'खातेदार' शब्द को यहां से डिलीट कर दिया जाना चाहिये ।

दूसरा जो अमेन्डमेंट है मेरा वह इस तरह है:

"Provided such tenant cantinues to pay full ret for the holding इन शब्दों को डिलीट करने के बारे में । इसक मतलब यह हैं कि खातेदार टिनेन्ट है उसका अधिकार तब तक रहता हैं जबतक वह रेन्ट अदा करता है । रेन्ट के बारे में आगे जाकर क्लॉज आते हैं । पर रेन्ट के बारे में भी ऐसा होता हैं कि अगर कभी काल पडता है और दूसरी कई ऐसी सूरतें आ सकती हैं जब कि रेन्ट समय पर नहीं दिया जाता और पोस्टपोन हो जाता है । तो अगर ऐसी बात हैं तो जब रेन्ट नहीं देंगे तो ये जो सहूलियतें दी हैं वे नहीं रहेंगीं और होल्डिंग उसके कब्जे में से निकल जावेगी । इसलिये यहां इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिये ।

तीसरा अमेडमेन्ट मेरा सब क्लॉज़ (२) में हैं,जहां एस डी ओ शब्द है,उसकी जगह तहसीलदार कर दिया जाए । कोई टीनेन्ट पेड़ लगाता है और दूसरे को इससे शिकायत हैं तो इसके लिए उसे एस डी. ओ. के पास जाना पडता हैं । पर एस डी. ओ. के पास पहुंचने में उसे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं वह दूर भी रहता हैं, दूर देहातों के लोग उन तक आसनी से नहीं पहुंच सकते, इसलिये 'तहसीलदार' शब्द इसकी जगह कर दिया जाय ।

[ श्री चांदमल मेहता ]

ये मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं और ये बहुत आवश्यक हैं। मुझे उम्मीद है मन्त्री महोदय इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—मेरा अमेन्डमेंट प्रेक्टिकल है और मैं उसे मूव करता हूं। इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, इतना ही कहता हूं।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ५८ में मेरा अमेन्डमेन्ट है। इसकी सब क्लाज (१) इस तरह है :

"A Khatedar tenant may plant trees on his holding provided such trees do not diminish the productive value of the land and such tenant continues to pay the full rent for the holding."

जिस वक्त यह बिल सिलेक्ट कमेटी में आया था, "such trees do not diminish the productive value of the land and" इन शब्दों को हटाने की सिफारिश की है और इसका कारण कमेटी ने यह लिखा है कि आइन्दा तहकीकात के वक्त बहुत सी कम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं, कौनसी कम होती है और कौनसी कम नहीं होती है, यह डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिये इन शब्दों को ही नहीं रक्खा जाय यह निर्णय दिया है। पर मेरे ख्याल से इसका रखना निहायत ज़रूरी है। जब हम एक टीनेन्ट को अख्तियारात देते हैं कि वह अपनी जमीन में पेड़ लगावे वहां उसके साथ कुछ प्रतिबंध भी जरूरी हैं कि किस हालत में वह लगा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आमदनी करने का राइट उसको दे दिया जावे और जब चाहे, जितना चाहे पेड़ लगा के और काट सके, चाहे जमीन के प्रोडक्टिविटि को कितना ही नुकसान पहुँचे। इसलिये मेरे विचार से इन लब्जों को बदस्तूर रक्खा जावे। साथ ही इसकी लैंगवेज की वजह से एक वर्ड इसमें और जोड़ने की ज़रूरत होगी कि "Provided such tenant continues to pay the full rent." यह कैन्स्ट्रक्शन ठीक जुड़ता नहीं है। इस प्रोवाइडेड के बाद "that" यह वर्ड होना चाहिये।

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

"Provided that such tenant continues to pay the full rent for the holding."

यह मेरा पहला अमेन्डमेंट है।

दूसरा अमेंडमेंट जो सब क्लाज (२) में मेरा है वह इस प्रकार है। Sub-clause 2 इस प्रकार पढ़ा जाता है।

"If a tenant plants or proposes to plant trees in such a way as to diminish the value of land not included in his holding, any person whose interest is adversely affected thereby, may apply to the Sub-Divisional Officer for an order prohibiting the planting of trees on such land or directing the tenant to remove trees already planted thereon and the Sub-Divisional Officer, may, after hearing such of the parties as wish to be heard, either grant the application etc. etc.

इसमें वर्ड हैं, "After hearing such of the parties as wish to be heard." मैंने इसके लिए यह अमेंडमेंट रखा है कि इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जावे और फिर "after giving the parties affected reasonable opportunity of being heard and after making such enquiry as he thinks fit." ये शब्द कर दिये जावें।

माननीय चेयरमेन, जिस वक्त क्लॉज ५७ में मैंने अमेन्डमेन्ट रक्खा था तो उसमें भी करीब करीब इसी प्रकार के शब्द थे और उसका रीज़न बताया था कि क्यों इस प्रकार का अमेंडमेंट जरूरी है। उसी तरह यह अमेंडमेंट भी मैंने रखा है। मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री चांदमल मेहता ने कुछ अमेन्डमेन्ट इस खण्ड में रखे हैं और पहला अमेंडमेंट सब क्लॉज(१) में है जो इस प्रकार है कि क्लॉज (१) में खातेदार शब्द को डिलीट कर दिया जावे। मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूँ कि खातेदार शब्द जो सब क्लॉज (१) में है वह वैसे ही रहने दिया जाय। आज जब हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं तो हमें यह देखना है कि आगे जाकर कॉम्प्लीकेशन्स न हों। टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त और सब टिनेन्ट को हम अगर ये अख्तियारात देते हैं कि वह पेड़ लगा सके तो आइन्दा जाकर बहुत सी कॉम्प्लीकेशन्स होंगी।

इस तरह की जो पहली धाराएं चली हैं उन धाराओं में हमने इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन देने के लिए प्रोविज़न किया है। हमने ज़मीन का कम्पेन्सेशन देने के लिये प्रोविज़न किया है, लेकिन ट्रीज़ का कम्पेन्सेशन देने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया है। ऐसा मेरा ख्याल है कि ट्रीज़

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

इम्प्रूवमेंट में नहीं आती हैं इसलिए खातेदार टिनेन्ट को ही यह अख्त्यार होना चाहिए कि वह ट्रीज़ लगाये। उसके अलावा यह जरूरी हो सकता है कि सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त वगैरह ट्रीज लगाना चाहें तो अपने लेन्ड होल्डर की इजाजत से लगा सकते हैं। उसके लिए इसमें कहीं इन्कार नहीं है कि ट्रीज के लिए उनको बिल्कुल मुमानियत कर दी गई हो, उनको रोक दिया गया हो। वह लगा सकते हैं अपने लेन्ड होल्डर की इजाजत से जिसके लिए इसमें कोई मुमानियत नहीं है। इसलिए जहां तक 'खातेदार' शब्द का डिलीशन माननीय मेहताजी चाहते हैं मैं उसका विरोध करता हूं।

उनका दूसरा एमेंडमेंट इसी क्लॉज में है। वह है—

"Such tenant contines to pay the full rent for the holding" उसके लिये दलील यह दी है कि कोई फेमीन का टाइम आ जाय, स्पेशल सरकमस्टान्सेज़ में कोई केलेमिटी हो जाय, टिड्डियां वगैरह आ जायं तो "Provided he continues to pay the rent........" ऐसा होने पर ऐसे सालों में भी रेन्ट की कमी न होगी। मैं समझता हूं, जिस मन्शा से यह क्लॉज़ रखा गया है, यह वर्ड्स रखे गये हैं वह बिल्कुल दूसरे हैं। जब हमने किसी को ट्रीज़ लगाने का अख्त्यार दिया है, और मान लीजिये कि किसी खातेदार के पास ५ बीघा जमीन है, ७ बीघा जमीन है, उसमें से उसने २, ३ बीघा जमीन पर दरख्त लगा लिये हैं तो यह प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि जिस ३ बीघा जमीन में दरख्त लगायेगा जिसको वजह से वह काश्त नहीं कर सकता है और उस ३ बीघा जमीन का बराबर लगान देता रहेगा। इसलिए यह प्रोविजन रखा गया है। इस प्रोविज़न का मतलब किसी भी हालत में यह नहीं है और न कोई मन्शा हो सकती है कि कोई जनरल केलेमिटी आ जाय; जैसे फेमीन या टिड्डियों से नुकसान हो और इस वजह से जनरल रेमीशन हो या किसी पर्टीक्यूलर एरिया में रेमीशन या सस्पेन्शन ऑफ रेन्ट हो; तो उसमें उस खातेदार को रेमीशन नहीं मिलेगा। जो शंका श्री मेहताजी के दिमाग में है वह शंका निर्मूल है। यह तो सिर्फ इसलिए प्रोविजन किया गया है कि खातेदार के लिये ऐसा अख्तियार नहीं है कि चाहे जिस हिस्से में खातेदार अपने खेत में दरख्त लगा ले और दरख्त लगाने के बाद यह कहे कि मैंने दरख्त लगा लिया है इसलिये रेन्ट का रेमीशन कर दिया जाय। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मूलधारा है वह उसी तरह से पास होनी चाहिये।

दूसरा संशोधन उनका सब डिविजनल ऑफिसर के बजाय तहसीलदार को रखने का है यह बिल्कुल ठीक है। यह होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को प्रस्तुत करता हूं।

**श्री वेदपाल त्यागी**—माननीय चेयरमैन, खण्ड ५८ में श्री चांदमलजी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसके पक्ष में मुझे कुछ कहना है।

[ श्री वेदपाल त्यागी ]

आपका पहला संशोधन यह है कि जहां "खातेदार टिनेन्ट" शब्द आया है वहां 'खातेदार' शब्द उड़ा देना चाहिए । मैं समझता हूं कि यह ड्राफ्टिंग की गलती रह गई है । सब-क्लॉज़ (२) में शब्द टिनेन्ट है और वहां 'खातेदार' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है । इसलिए यदि खातेदार टिनेन्ट को ही हमें ट्रीज़ प्लान्ट करने के लिए अधिकार देना है तो सब क्लॉज़ (२) में 'खातेदार' शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि वह वहां पर नहीं है और युनिफॉर्मिटी के लिए आवश्यक है कि सब क्लॉज़ (२) में खातेदार टिनेन्ट के बजाय 'टिटेन्ट' रखा जाय या सबक्लॉज़ (२) में शब्द खातेदार टिनेन्ट रखा जाय । लेकिन मैं समझता हूं कि जिन सिद्धांतों को लेकर सब-लेटिंग के लिए क्लांजेज़ बनाये हैं उन सिद्धांतों पर हम यहां विचार करें तो हम उन लोगों को जिनका जमीन पर कोई हक नहीं है लेकिन टेम्परारी तरीके से जमीन काश्त करने के लिए देना चाहते हैं और उसमें एक टाइम लिमिट मुकर्रर की है कि ५ साल से कम किसी को सब-टिनेन्सी मुकर्रर नहीं करने देंगे। जब पांच साल का समय काश्त करने के लिए देते हैं और अगर ५ साल के अन्दर और उसके बाद में रिन्युअल होने के बाद १० साल के बाद पेड़ लगाकर जमीन को छोड़ दें तो ट्रीज़ से उसको डिबार नहीं करना चाहिए ।

तो मेरे खयाल से शब्द 'खातेदार टिनेन्ट' के बजाय 'टिनेन्ट' रखा जाना उचित होगा ताकि सब लोगों को यह अधिकार हो कि जिस जमीन पर वह काश्त करते हैं, उस जमीन पर वे पेड़ लगाने का लाभ उठा सकें ।

दूसरा संशोधन सबडिविजनल ऑफिसर के बजाय तहसीलदार के लिए रखा गया है । उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रलाइज़ेशन ऑफ पॉवर नहीं रखें और पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज करना चाहिए । एक काश्तकार को सबडिवीजनल ऑफिसर के ऑफिस में आना पड़ेगा और सबडिवीजनल ऑफिसर के पास में दरख्वास्त पेश करनी पड़ेगी तो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा । इसलिए 'सबडिवीजनल ऑफिसर' की जगह 'तहसीलदार' शब्द रख दिया जाय तो ठीक होगा ।

**महाराज श्री केसरीसिंह**(कापरेन)--माननीय चेयरमेन, माननीय चांदमलजी मेहता ने जो संशोधन खण्ड ५८ के उप खण्ड(१) में पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं । उसका मतलब यह है कि खातेदार ही दरख्त लगा सके और सबलेट जिसको किया जाता है वह नहीं लगा सके, यह बिल्कुल ही सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि एक जमीन को सबलेट करता है तो अमूमन ५ साल की अवधि दी है । पांच साल की अवधि में अगर एक आदमी दरख्त लगाता है तो ५ साल के बाद टिनेन्ट ले लेते हैं तो उसमें उस टिनेन्ट को बहुत असुविधा हो जाती है । क्योंकि उसको उस जमीन का हरजाना देना पड़ेगा और वह जमीन पड़त रह जायेगी, उसको नौ तोड़ करना पड़ेगा । बड़ा सरफाकरना पड़ेगा ।

मुनाफा वह उठाये और खर्च टिनेन्ट को करना पड़ेगा। मगर क्या टिनेन्ट इस बात को मंजूर करेगा कि सब-टिनेन्ट उसकी जमीन पर दरख्त लगाकर जमीन को खराब करे। मेरे खयाल से कोई टिनेन्ट इस बात के लिए रजामन्द नहीं हो सकता है। ऐसी धारा इसमें कर दी जायगी तो यह चीज़ बहुत से काश्तकारों के लिए दुविधाजनक होगी।

दूसरा संशोधन जो है सब क्लाज़ (१) में कि फुल रेन्ट पे करता है तभी वह जमीन में दरख्त लगा सकता है। अगर आपका संशोधन यह है कि फुल रेन्ट उस वक्त पे नहीं करता है जब कि सरकार जमीन के ऊपर वर्षा नहीं होने की वजह से लगान में रियायत करे और सब में आपका अधिकार है तो जब सरकार लगान में रियायत करती है तो उसमें भी वह हिस्सेदार हो, उसमें भी उनको राहत मिलनी चाहिये।

सब क्लाज़ (२) में आपका संशोधन है कि तहसीलदार होना चाहिये; सब डिविजनल ऑफिसर की जगह पर। यह सीमा बहुत दूर की है। सब डिविज़नल ऑफिसर होने की वजह से, चूंकि सबडिविजन काफी बड़ा होता है और उसमें काश्तकारों को छोटी छोटी बातों के लिए सबडिविज़नल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, उसमें उसका समय और पैसे का खर्चा होगा।

श्री श्यामलालजी गोयल का संशोधन है कि जो सिलेक्ट कमेटी ने डिलीशन किया है तो उसको डिलीट नहीं करना है। मेरा यह इसमें सुझाव है कि यह डिलीट अवश्य होना चाहिये, क्योंकि इसके अन्दर बहुत सी धाराएं हैं और बहुत से झगड़े खड़े हो जायेंगे कि कौनसा दरख्त जमीन को नुकसान पहुँचाता है, कौनसा दरख्त नहीं पहुँचाता है। इसमें उसके लिए बहुत सी छानबीन करनी पड़ेगी और मालूम नहीं क्या क्या झगड़े इसमें होंगे। इसलिये खातेदार वही दरख्त लगाये जिसमें उसको लाभ हो और जमीन को नुक्सान नहीं हो। इसलिये यह जो डिलीशन किया गया है वह रहना चाहिये।

**श्री भीमसिंह**—चेयरमेन महोदय, श्री श्यामलालजी ने जो अमेंडमेन्ट रखा है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो वर्ड्स इसमें से डिलीट करवाये थे वे फिर से रिटेन किये जांय। मैं समझता हूँ कि यह कतई नाजायज है। इससे यह होगा कि जो भी ट्रीज़ हैं चाहे वे डेमेज करती हैं या नहीं, फायदे की हैं या नुकसान की हैं, एक काश्तकार, तहसीलदार और पटवारी के बीच खामखाह झंझट का रास्ता खोलना है। किसान कहेगा, मैंने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिये प्लान्ट्स लगाये हैं और पटवारी कहेगा कि ये प्लान्ट्स खेती को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, तब फिर प्रश्न उठेगा कि ये नुक्सान करने वाले हैं या फायदा करने वाले हैं, यह एग्रीकल्चर विभाग से पूछा जाय। यदि खातेदार की जमीन में फायदा करने वाले हैं तभी तो वह पेड़ लगायगा; यदि नुकसान करने वाले हैं तो वह पेड़ क्यों लगायेगा। ऐसी हालत में वे शब्द सिलेक्ट कमेटी ने सोच समझ कर डिलीट करने का तय किया था। अब इसे रिटेन किया जाता है तो ठीक नहीं है।

[ श्री भीमसिंह ]

दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि खातेदार के बजाय टिनेन्ट कर दिया जाय, यह भी नावाजिब है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह आयगी कि एक सब टिनेन्ट के पास खेत है और उसकी मयाद खत्म होने के बाद लैंडलोर्ड वापिस लेने की डिमान्ड करता है तो दरख्तों का झगड़ा पड़ेगा, इसलिये जिस रूप मे यह क्लॉज़ है उसी रूप में इसका रखा जाना वाजिब है।

**श्री मोतीलाल चौधरी**—माननीय चेअरमेन, माननीय चाँदमलजी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें "A Khatedar tenant may plant trees on his holding......" शब्द यूज़ किये गये हैं; इसमें 'खातेदार' रखने की जरूरत नहीं है, "टिनेन्ट" शब्द रखना ही काफी है। हम टिनेन्ट्स को राहत देने के लिये यह कानून बना रहे हैं। यदि कोई ट्रीखेत को नुकसान पहुंचाने वाला है तो हर काश्तकार को, चाहे वह खातेदार हो, सब टिनेन्ट हो या टिनेन्ट ऑफ खुद काश्त हो सब को हक होना चाहिये। कोई ऐसा नहीं करेगा जिससे खेती को नुकसान पहुँचे, हरेक यही चाहेगा कि खेती को फायदा पहुँचे। लैंड लोर्ड को नुकसान पहुँचाने की नीयत किसी की भी नहीं रहती। जो आदमी १२ महीने तक एक खेत में खेती करता है वह भाड़ झोंकने के लिये मेहनत नहीं करता है बल्कि फायदा उठाने के लिये करता है। १२ महीनों तक जो आदमी मेहनत करेगा उसकी नीयत कभी जमीन को नुकसान पहुँचाने की नहीं होगी। एक किसान की कमाई खेती ही है, उसके जीवन का जरिया भी खेती ही है। वह क्यों चाहेगा कि खेती को नुकसान पहुँचे। इसलिये 'खातेदार' शब्द रखने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कमेटी की मंशा यह थी कि हर टिनेन्ट को अधिकार दिया जाय। आगे चलकर सेक्शन ५६ है "Tenant's rights in trees existing at the commencement of this Act..." उसमें टिनेन्ट शब्द यूज़ किया गया है। वहां खातेदार टिनेन्ट नहीं किया गया है। वहां टिनेन्ट्स को राइट दिये गये हैं और हर टिनेन्ट को राइट होने चाहिये। एक्च्युली ऐसी बात नहीं है जिसके कारण खेती में नुकसान हो। श्री श्यामलालजी ने कहा कि किसी के पास १० बीघा जमीन है तो ५ बीघा में वह पेड़ ही पेड़ लगा देगा। वह ऐसा क्यों करेगा ? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो ऐसा करेगा ? जितनी जमीन उसके पास है उसमें खेती करेगा। ५ बीघा में पेड़ लगाने से जमीन की क्या डेफिनिशन होगी, क्या रंग होगा। जो ५ बीघा में पेड़ गाडेगा उसका रंग ही दूसरा हो जायगा। "Provided such tenant continues to pay the full rent for the holding" यह कतई नहीं रहना चाहिये। एक तरफ यह राइट देते हैं कि "Khatedar tenant will plant the trees " और दूसरी तरफ आप इजेक्टमेंट करते हैं। पूरा कल्टीवेशन नहीं करे तो इजेक्ट कर सकते हैं और दूसरी तरफ यह रखते हैं कि पेड़ तब गाड़ सकता है जब की कंटिन्युअसली रेन्ट देगा। ऐसी हालत में आपको उसको कुछ भी राहत नहीं देते हैं। खातेदारी टिनेन्ट है उसको पूरे राइट्स है, उसको जमीन पर पूरे अधिकार है। यदि रेन्ट नहीं देगा तो उसको इजेक्ट कर सकते हैं तो फिर पेड़ क्यों नहीं गाड़ सकता ? यह गलत है। जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के कुछ हिस्सों में स्वतः ही पेड़ खड़े हो जाते हैं, गाढ़ने नहीं पडते; जैसे खेजड़ी। इसे हर किसान इम्प्रूवमेंट मानता है। वे जानते हैं कि इसको काटने से नुकसान होता है। जोधपुर में तो

[ श्री मोतीलाल चौधरी ]

जितने खेजड़े खड़े होते हैं उतना ही ज्यादा खेत का इम्प्रूवमेंट मानते हैं। इस दृष्टिकोण से कहता हूँ कि पहले सब सेक्शन में 'खातेदार' को काट दिया जाय और श्री चांदमलजी का जो संशोधन है : "provided such tenat continues to pay the full rent for the holding" उसको हटा दिया जाय ।

श्री श्यामलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं । उसमें लिखा है, "such trees do not diminish the productive value of land" यह कतई रखा नहीं जाय। सिलेक्ट कमेटी का दृष्टिकोण यही होगा और यही होना चाहिये। इस तरह से रखते हैं तो एक नया झगड़ा खड़ा होगा। खातेदार टिनेन्ट, लैंडलोर्ड, गवर्नमेंट और पटवारी के बीच में हर टाइम लड़ाई रहेगी। इस में शब्द 'तहसीलदार' रखना चाहिये। पांच-सात तहसीलों का एक सब डिविजन होता है। एक्चुअली पूछा जाय तो आगे जाकर एस. डी. ओ. की पोस्ट हटानी पड़ेगी। It is a simply a post Office तहसीलदारों के साथ लैंड और किसानों का सीधा संबंध है। एस. डी. ओ. से किसानों का डाइरेक्ट संबंध नहीं रहता है, इन्डाइरेक्टली संबंध है। डाइरेक्ट संबंध जिनसे है उन्हीं के पास रखना चाहिये, इससे किसानों को फायदा होगा। वे तहसीलदारों के पास पहुँच सकते हैं। मैं यह संशोधन रखना चाहता हूँ कि सब क्लॉज़ ( २ ) हटा ही दी जाय। एक तरफ पेड़ गाड़ने का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ नुकसान पहुँचे, यह ठीक नहीं है। आज वन महोत्सव के लिये करोड़ों रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किये जाते हैं और पेड़ लगाये जाते हैं। दूसरों की जमीन को नुकसान पहुँचता हो ऐसे पेड़ नहीं हुआ करते। किसी भी किसान के दिमाग में यह बात नही आती होगी कि मेरे खेत में पेड़ लगाऊं जिससे कि दूसरों की जमीन को नुकसान पहुँच सके। अपनी नाक कटा कर ऐसा कोई नहीं कर सकता। यदि ऐसा हुआ तो किसानों को नुकसान पहुँचेगा और तहसीलदारों की मौज जमेगी। मैं यह कहूँगा कि सब सेक्शन ( २ ) को हटाने के लिये मंत्री महोदय विचार करेंगे और मेरी बात मान जायेंगे और श्री चांदमल जी के संशोधन को मंजूर करेंगे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—माननीय चेअरमेन, इस क्लॉज पर जो संशोधन आये हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि आम तौर से कोई भी काश्तकार इस तरह के दरख्त लगाने का प्रयत्न नहीं करेगा, जिससे उसके खेत में नुकसान होता हो। लेकिन साथ साथ नुकसान के तौर पर हमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जोधपुर, बीकानेर तथा जयपुर के कुछ हिस्सों में जहां खेजड़ी के दरख्त होते हैं, जिनसे फर्टिलिटी बढ़ती है और खेती को नुकसान नहीं होता है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां दरख्त खेती को नुकसान पहुँचाते हैं; इस चीज को भी हमें लक्ष्य में रखना होगा और मैं समझता हूं कि ऐसे क्षेत्र भी काफी हैं जहां दरख्तों की छाया से फसल को नुकसान पहुँचता है।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

'खातेदार' शब्द रखा गया है उसको हटाने के लिये जो सुझाव दिया गया है, इसको मानने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसके साथ जो कहा गया है "provided that such trees do not diminish the productive value of the land"

इससे एक प्रिकॉशन हमारे सामने आ जायगा कि अगर किसी चीज से प्रोडक्टिविटी को नुक्सान पहुँचता है तो उसको तो रोका जा सकता है, परन्तु हरेक टिनेन्ट को अख्त्यारात दे दिये जाय कि वह दरख्त काट सकता है तो यह कोई ठीक बात नहीं होगी।

श्री चांदमलजी ने 'खातेदार' शब्द हटा दिया जाये, इस प्रकार का संशोधन रखा है। इसको हटाने में मुझे कोई एतराज नहीं है पर साथ साथ जो श्री श्यामलालजी ने अमेंडमेंट रखा है: "Provided that such trees do not diminish the Productive value of the land" इन शब्दों को इसके साथ जोड़ना चाहिये तो यह चीज ठीक होती है और एक हाथ में हमारे प्रिकॉशन लेने की गुंजाइस रहती है। ऐसा नहीं होगा तो काश्तकारों में काफी कन्फयुजन और झगड़ा होगा और तहसीलदार के सामने यह चीज खड़ी हो जायगी कि कौनसा प्रोडक्टिव है और कौनसा नहीं है। मैं पूछता हूँ कि यह आसान नही होगा, इससे प्रिकॉशन रखना ज्यादा अच्छा होता है। इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि जो ये शब्द दिये गये हैं। "he continues to pay the full rent for the holding"

इन शब्दों को हटा दिया जाय। माननीय चेअरमेन, हमने इस सारे बिल में एक बात का ध्यान रखा है कि हम टिनेन्ट्स, सब टिनेन्ट्स में इस टेन्डेन्सी को नहीं आने देना चाहते कि रेंट से उन्हें फ्री कर दिया जाय और वे लोग फसल का पूरा का पूरा हिस्सा ले जांय। हां नेचरल कैलेमिटी के समय उनको रेमिशन, सस्पेन्शन किया जाय तो ऐसा नहीं समझा जाता कि वे रेन्ट नहीं दें। "That is Non-payment of land-revenue and not rent."

इन सारी गुंजायशों के बाद भी अगर कोई लगान नहीं देता रहे और हम उनके लिये रेमिशन, सहूलियत की बातें करते रहें तो यह ठीक नहीं होगा। तो यह शब्द रहने चाहिये।

सब क्लॉज़ (२) में 'तहसीलदार' शब्द बढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। पर इस सब क्लॉज़ को डिलीट करने का जो अमेन्डमेन्ट आया है यह कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। कोई दरख्त लगाने की कार्यवाही करे इसके बारे में जांच की गुंजायश नहीं रखी तो यह ठीक नहीं होगा।

इसलिये वह इसमें रहना चाहिये और इसके लिये मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य श्री श्यामलालजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार करने से स्पष्ट हो जायगा कि पूरा सुनने का मौका दिया जायगा। अतः श्री श्यामलालजी गोयल ने जो अमेंडमेंट रखा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

अन्य अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने जो कहा है, मैं आशा करता हूँ कि वह काफी है।

**श्री चांदमल मेहता**—मेरे अमेंडमेंट ए. और सी. को मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। मेरे अमेंडमेंट बी. को मैं वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

**श्री सभापति**—श्री चांदमलजी अपना बी. अमेंडमेंट वापिस लेना चाहते हैं, क्या वापिस लेने की अनुमति दी जावे ?

( स्वीकृत )

अमेंडमेंट वापिस लेने की अनुमति दी गई।

**श्री चांदमल मेहता**—मैं अपना बी. अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

**श्री सभापति**—प्रश्न यह है कि श्री चांदमलजी के जो अमेंडमेंट्स हैं ए. और सी., उनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये

( विराम )

प्रश्न यह है कि श्री श्यामलालजी गोयल का क्लॉज़ ५८ पर जो अमेंडमेंट है और जिसको मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने मंजूर किया है, उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

अमेंडमेंट स्वीकृत हुआ।

( विराम )

श्री तनसिंहजी का अमेंडमेंट कवर अप हो जाता है, इसलिये इस पर मत लिये जाते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकृत हुआ

( विराम )

[ श्री सभापति ]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५८, एज अमेंन्डेड, स्वीकार किया जावे ।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५८, एज अमेंडेड, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया ।

क्लॉज़ ५६, श्री एच. के व्यास ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—माननीय चेयरमेन, धारा ५६ में एक मेरा बहुत ऑर्डिनरी अमेंडमेंट प्रोविजो में है। जो प्रोविजो इस समय मूल धारा में है उसकी बजाय मैं यह सबस्टीट्यूट करना चाहता हूँ।

"Provided that where such trees are the property of any person at the commencement of this Act, such person shall be given compensation by the tenant in accordance with rules perscribed in that behalf."

ओरीजिनल जो क्लॉज़ है वह इस प्रकार है "Provided that where in accordance with any custom or contract such trees are already recognised to be the property of any other person at the commencement of this Act, such person shall be given compensation by the tenant in accordance with rules prescribed in that behalf."

तो यह जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, इसमें है : "In accordance with any custum or contract......"

इन वर्ड्स को डिलीट किया है और 'रिकॉग्नाइज्ड' वर्ड को भी मैंने हटा दिया है और मैं यह समझता हूँ कि यह जरूरी है। मूल धारा में : "In accordance with any custom or contract, such trees are recognised"

यह जो शब्द हैं उनसे यह धारा सीमित होती है, इसलिये मेरा यह अमेंडमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे ।

(श्री एच. के. व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री हिम्मतसिंह**—You were absent.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष ६. ४० पर पदासीन)

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Have I your permission to move it now ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल ।

(A voice 'He has moved')

None else ?

श्री एच. के. व्यास—I have to move it, Sir, if you permit ?

श्री उपाध्यक्ष—You were absent. But still I give you some time and say whatever you want to express.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के दो अंग हमारे सामने हैं। एक यह कि जो खातेदारों को पेडों के सिलसिले में जो अधिकार दे रहे हैं और दूसरा अंग यह है कि इस दिये हुए अधिकार को उनसे छीनता है। इस प्रकार के परस्पर विरोधी प्रोविजनों के कानून में रख कर मेरा खयाल है, उलझन और आपस में टंटे पैदा करेंगे। इस क्लॉज़ के प्रोविजन को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि खेत किसी व्यक्ति का है और पेड़ पर किसी दूसरे व्यक्तियों का कब्ज़ा हो चुका है। इसलिये जिस व्यक्ति के पेड़ हैं उसको मुआवजा देना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि जमीन एक आदमी के कब्जे में है और पेडों पर दूसरे का अधिकार। है और अगर फिर वे आम के पेड़ हुए तो वह आम की मौसम में आम बटोरने के लिये जाने का अधिकार भी उसको इस प्रकार है। इससे नतीजा यह निकलता है, जहां तक मैं कह सकता हूँ कि खातेदार को पेड़ों के सिलसिले में जो हमने अधिकार दिये हैं वे इससे करीब करीब नलीफाइड हो जाते हैं। इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि यह जो प्रोविजन इस क्लॉज़ का है इसको डिलिट कर दिया जावे। इससे हम फिर पोज़िटिव स्टेज में यह कह सकें कि पेडों और जमीन का, सबका एक साथ कब्जा चलेगा। कम से कम टिनेन्सी लॉ के अनुसार यह भेद-भाव नहीं रहना चाहिये। जमीन किसी की है और उस जमीन में पेड किसी के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जमीन किसी के पास रह जावे और पेड़ किसी के पास रह जावे। अगर किसी के पास इस प्रकार के पेड हैं तो यह एक दूसरी बात हैं, मगर होंगे, तो यह एक दूसरी बात है। इस एक्ट के बनने से पहले अगर हैं तो कोई क्या करें, मगर भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं रहना चाहिये ताकि कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और इसका यही इलाज है कि जिसके पास जमीन रहे उसी के पास पेड़ रहें और जिसकी जमीन होगी उसी के पास पेड़ रहेंगे।

अब रहा सवाल यह कि किसी व्यक्ति को वृक्ष की हल बनाने के लिये जरूरत रहेगी तो इसके लिये तो हमने ग्रोव होल्डर को पहले ही एक्सक्ल्यूड कर दिया। अगर फिर हम इस प्रकार की बातें यहां रखेंगे तो इससे झगड़े वापिस बढ़ेंगे। इसलिये मेरी यह दर्ख्वास्त है कि यह प्रोविजन जो रखा गया है इसको हटा दिया जावे और सिर्फ यह लिख दिया जावे कि पेड़ों पर भी उसी का अधिकार होगा जो जमीन पर काबिज होगा।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेंन्डमेंट मेरे मित्र एच. के. व्यास ने बताया है वह वास्तव में स्थिति के प्रतिकूल है। आज राजस्थान में कई जगह ऐसे स्थान हैं जहां जमीन किसी की है और पेड़ किसी दूसरे के लग रहे हैं। हर साल पेड़ों के मालिकों को उन पेड़ों के फल का हक होता है और वे उस जमीन में जाकर उन पेडों से फल हासिल करते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम यह एक्ट पास करेंगे कि जिसके पास लेन्ड होगी उसी के वे पेड होंगे। मगर आज भी इस एक्ट के बनने से पहले इस प्रकार की जमीनें पड़ी हैं उनका क्या होगा? जिस व्यक्ति की प्रोपर्टी है उसी को रहेगी और उसको उसका फायदा मिलना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रोविजन को हटाने से तो इतफाक नहीं करता लेकिन जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने रखा है वह इस बात को सिम्पलीफाइ कर देता है। हमें इन बातों के झगडों में नहीं पड़ना चाहिये कि : "Provided that where in accordance with any custom or contract such trees are already recognised to be the property of any other person" हमको रिकोग्निशन के झगड़े में नहीं पड़कर सिम्पलीफाइ कर देना है "where such property vests in the person, he is entitled to compensation." इससे यह बिलकुल सिम्पलीफाईड हो जाता है और मैं समझता हूँ कि जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने रखा है उसके बाद किसी दूसरी तरमीम की जरूरत नहीं रहती। मैं श्री श्यामलालजी गोयल ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

**श्री भैरूंसिंह** (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, श्री श्यामलालजी गोयल ने जो इस पर तरमीम रखी है उस संबन्ध में सिवाय इसके कि वह तरमीम आवश्यक रूप से इस क्लॉज़ का अंग बना दी जानी चाहिये, मुझे कुछ विशेष रूप से कहना नहीं है। लेकिन दूसरा जो संशोधन जोधपुर से आने वाले सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसकी ओर में सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। उनका संशोधन यह है कि यदि पेडों पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार है तो उस स्थिति में बिना कम्पेन्सेशन दिलाये हुए ही जो काश्तकार काश्त करते हैं या खातेदार हैं, उनको भी अधिकार दे देना चाहिये। मैं यह कहूंगा उनसे कि राजस्थान में एक सी ही परिस्थिति नहीं है और सब जगह एक ही प्रकार के पेड नहीं लगाये जाते हैं। जहां तक रोजमर्रा काम में आनेवाले पेड़ हैं उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो काम में लिए जा सकते हैं, मगर दूसरे पेड़ जो किसी ने लगाए हों, मगर काश्त कोई दूसरा ही व्यक्ति उस जमीन में करता हो तो ऐसी हालत में यह कैसे संभव हो सकता है। इन पेड़ों का मतलब जो इस प्रोविजन में दिखलाया गया है उन पेडों से हैं जिनका तातपर्य मुनाफा कमाने से और हासिल करने से है। इस प्रकार के पेड़, जमुवा रामगढ़ आमेर आदि की तरफ अगर देखा जावे तो आपको ऐसे पेड़ बहुत नजर आवेंगे, जहां पर कोई काश्त करता है और पेड़ दूसरे के हैं। आज नहीं, बल्कि आज से २० वर्ष पहले उस जमीन पर काश्त कोई दूसरा करता था और फलों वाले पेड़ किसी दूसरे ने लगाए थे और आज भी लगाते आए हैं और आज से एक माह पहले भी लगाते आए हैं। इस प्रकार काश्त का किसी व्यक्ति ने फायदा उठाया तो वृक्ष लगाने की मेहनत और मजदूरी किसी दूसरे ने की और उसको अपने श्रम और पैसे, जो उसने उन वृक्षों पर लगाया है, का फायदा उठाना चाहिये। उसने उन पेड़ों पर जिस प्रकार के श्रम की आवश्यकता थी

[ श्री भैंरोंसिंह ]

श्रम खर्च किया। यदि आज हम उनके पेड़ों पर दूसरे आदमी का अधिकार दिलायें तो वह विधान के प्रतिकूल तो होगा ही किन्तु व्यवहार के भी प्रतिकूल होगा। इस प्रोविजो से तो हम उल्टा खातेदार टिनेन्ट को अधिकार दिलाते हैं, खातेदार को अधिकार नहीं है फिर भी अधिकार प्राप्त कर सकता है इस प्रोविजो के द्वारा। इसमें थोड़ा यह रखा है कि कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य प्रोविजो को हटाने की मंशा रखते हैं तो दूसरे शब्दों में उनकी मंशा यह होगी कि जो पेड दूसरे आदमी ने लगाये हैं तो खातेदार की प्रोपर्टी पर किसी प्रकार अधिकार नहीं हो सकेगा। उनको लेने का अधिकार तो यही हो सकता है कि कम्पेन्सेशन जो सरकार निश्चित करे वह उसको देकर ले ले ताकि जमीन के साथ साथ पेड़ों की भी आमद बढ़ सके। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य सारे ही राजस्थान को दृष्टि में रख कर और उन चीजों पर ध्यान दे जिससे कि लोगों को नुक्सान होने वाला है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें। काश्तकारों से जितने सम्बन्ध रखने वाले पेड़ हैं, इस प्रकार का कोई ठेका न हो, ठेके के लिए पहले भी कानून बना दिया है। पाला, खेजड़ी आदि पेड़ हैं, उनमें सबका इन्ट्रेस्ट होता है, काश्तकारों का भी होता है; खातेदार, गैर खातेदार, टिनेन्ट और सब टिनेन्ट का भी होता है। यह दूसरी बात हो सकती है कि कोई ठेका हो या एग्रीमेंट हो जिसकी वजह से काश्त करे, वहां किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार रह जाय और पेडों पर किसी दूसरे का रह जाय। और इसीलिए कम्पेन्सेशन देना वाजिब है। कम्पेन्सेशन देने का जो अधिकार सरकार ने रख लिया है, मैं समझता हूँ कि वह तो इसमें ही स्पष्ट हो जाना चाहिये था। फिर सरकार अपने हाथ में इन अधिकारों को रखती है तो कोई अत्युक्ति नहीं है। आयन्दा गम्भीर स्थिति पैदा न हो इसी वजह से मैं निवेदन करूंगा कि इनके संशोधन को स्वीकार न किया जाय, बल्कि श्री श्रीदासजी गोयल के स्थान पर श्री श्यामलालजी गोयल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, जो क्लॉज़ इस बिल में है, उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री ईश्वरी सिंह—भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखो है और उणमें एक बात कही है कि आज की दुनियां में काश्तकार और दुनियां के साधन के वास्ते कानून बनाया जाय है, तो यह बड़ी अन्याय की चीज होगी कि जमीन में जो धणी काश्त करे पेड़-पान भी वांको ही होणो चाहिजे, न कि दूसरां को। या चीज़ नहीं कि काश्त कोई करे पेड़ दूसरां को होय। यह चीज़ तो बड़ी अन्याय की है।

जमीन आज तक जागिरदारां की धणी जाय ही, थोडी घणी। जागिरदार या क्रिया कि मारा ठिकाने में या चीज़ करी राखी है कि काश्तकार खेजडा, बंबूल आदि काटे तो राज की इजाजत ले। और इजाजत ले तो आधो सरकार ने जमा कराये। तो क्या अन्याय की चीज़ कोयनी। काश्तकार बाने फलावे-फलावे और आधा जागीरदार की हो जाय। यो कोट मारो है? इंको सार्टिफिकट कई? सार्टिफिकट यही है कि जो जमीन काश्त करे है वी में जो पेड-पान है वे सब काश्तकार का है। आज या कहो जाय कि यह तो खातेदार का समझा जाय। पेड़ की बजाय कहेगा कि काश्त ही मारी है। पेड़ की एवज में काश्त उठा ले जावे तो कितनो बड़ी अन्याय की चीज़ है।

[ श्री ईश्वरीसिंह ]

तो या चीज़ कतई नहीं रहनी चाहिजे। जो संशोधन राख्यो गयो है वो स्वीकार कियो जाय और भैरोंसिंहजी ने जो राय दी है वा नावाजिब है क्योंकि काश्तकार जो खेती करे है तो वा धणी को है, कोई जागीरदार को नहीं है। जो काश्तकार काश्त करे वा वांकी है।

**श्री बलवीरसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और वह समर्थन इसलिए करूंगा कि यहां इस तरह का मसला है जो किसान और गैर किसान से ताल्लुक रखता है। मैं आपको यह बता दूं कि अब तक की जो नीति रही है वह इस तरह से रही है कि जगह जगह जागीरदारों ने या खातेदारों ने, खातेदार तो मैं उनको क्या कहूं, इस तरह हजारों बीघा जमीनों को ठेके पर ले रखा था, उनमें चाहे किसानों के पेड़ लगाये हुए हों किन्तु उनका यह आम रिवाज रहा है और वह आम रिवाज इस तरह से रहा है कि यह जो पेड़ हैं चूंकि जमीन हमारे खेत की है इसलिये इसके अन्दर जो काश्त करता है उसके नहीं हैं, काश्तकार के पेड़ नहीं बल्कि हमारे हैं। जगह जगह कई तरीकों से, जितने भी तरीकों से जागीरदार और ठेकेदार लूट सकते थे, लूटते थे यह एक तरीका था। और इस तरह की व्यवस्था थी जिसके अन्दर रोजाना झगड़े हुआ करते थे और मेरे ख्याल से कुछ दिनों से इस तरह की चीज़ हुई थी कि वे झगड़े बन्द हुए। इस तरह का जो प्रोविजन रखा है कि जमीन किसी की होती है और दरख्त किसी और के होते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह से एक लड़ाई का बीज हम बो रहे हैं, एक झगड़े की जड़ हम यहां पैदा कर रहे हैं, और और झगड़े इस तरह से होंगे कि जिनका निपटाना, मेरे ख्याल से, बहुत मुश्किल होगा।

मैं यह कह दूं कि यहां दबा कर इस तरह की चीज की गई हैं कि किसी के खेत और किसी के दरख्त और खामोख्वाह झूठ कह कर खातेदारी राइट्स लिये हैं और हमारे दरख्त हैं। गरीब किसान जो काश्त करता है, जिसका कि कब्जा है उसको दबाया गया है। खातेदारी राइट्स मिले हैं गैर वाजिब तरीकों से। कानून के खिलाफ कब्जा कर रखा है और दरख्त दूसरों के बताते थे और जमीन किसी और की थी, आज तक बेइमानी की और बेइमानी का पैसा इकट्ठा किया, मैं नहीं समझता कि उनको आगे भी क्यों छूट दी जा रही है,

कॉन्स्टिट्युशन के खिलाफ है, अल्ट्रावायर्स है ऐसा भी पहले कहा गया था। कांस्टिचुशन का तो बहाना लेकर उसके नाम से गरीबों को तबाह किया जाय और ऐसे आदमी जिसका दरख्तों से लेन-देन कोई नहीं किन्तु महज होशियारी से, बेईमानी से पेड़ों पर अधिकार रखना चाहते हैं और इस तरह का प्रोविजन रखा जाता है, इस प्रकार की कोशिश की जाती है जिससे किसानों का कब्जा न रहे। किसान कम्पेन्सेशन दे न सके और इसलिये जमीन पर रहन भी उसका ना मुमकिन हो जाय, मुश्किल हो जाय। इस तरह का क्या कानून? क्या हम कोई कानून बना रहे हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव है और किसानों के फायदे के लिए बना रहे हैं। किन्तु जो कानून हम बना रहे हैं इस तरह से तो वह तो इस तरह का कानून होगा कि जो किसानों की इस तरह से बरबादी करेगा कि उनके बेचारों की मुश्किल हो जायगी।

[ श्री बलबीरसिंह ]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये इस सदन से निवेदन करूंगा, इस तरह के कानून बनाते समय हमें यह ख्याल करना चाहिये कि कहीं इससे गरीब किसान तो बरबाद नहीं होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं निवेदन कर सकता। आखिर मैं यही निवेदन करूंगा सदन इस क्लॉज़ को पास करने से पहले यह सोचे कि इससे कितने लाख लोग बरबाद होंगे, कितने हजार लोगों को इससे फायदा होगा और कितने हजार लोगों को यह आबाद करेगा। हमें कानून ऐसे बनाने चाहिये जिसमें ज्यादा लोगों का फायदा हो इस प्रकार के फायदे में कुछ लोगों का नुकसान होता हो तो भी ख्याल नहीं करना चाहिये।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन विचारार्थ रखा गया है उस पर जो दलील दी गई है या जो तथ्य हमारे सामने आये हैं उससे स्पष्ट होता है कि हम इस कानून द्वारा एक इस प्रकार की प्रथा को जो आज तक चली आ रही थी उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। ऐसी प्रथा के बारे में किसी को एतराज नहीं हो सकता, वह प्रथा अब किसी प्रकार भी चलनी नहीं चाहिये। अगर किसी जमीन पर किसी काश्तकार का कब्जा है उस जमीन में उगने वाले जितने भी पेड़ मौजूद हैं उस काश्तकार का उस पर हक होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक विशाल प्रदेश है इसके अन्दर कई प्रथायें प्रचलित थी उन सब प्रथाओं पर दृष्टिपात करते हुए यहां कि स्थिति को ध्यान रखते हुए, यहां के लिये उसी प्रकार का कानून बनाना चाहिये। आज जो यह कहते हैं कि आज से पहले कुछ जागीरदारों ने झूठी या गलत बातें कहकर या सेटलमेन्ट रेकर्ड में गलत दर्ज करवाकर अपने खातेदारी के हक हासिल कर लिये या यह कहा जाय कि जागीरदारों ने दबाव डालकर ऐसे खेतों पर वृक्ष लगायें उनसे नाजायज़ फायदा उठाया। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज से पहले जो बहुत गलत प्रथायें चली आ रही थीं, जितने भी हम प्रगतिशील होते गये, यह प्रथायें धीरे धीरे समाप्त की जा रही है लेकिन इसके लिये यह जो दलील दी जा रही है कि जागीरदारों ने पहले गलतियां कीं उन्होंने जो पहले शोषण किया आज हम उनका शोषण शुरू कर दें, यह कदापि ठीक नहीं कहा जा सकता। प्रजातंत्रीय शासन में यह दलील उचित प्रतीत नहीं होती। यह कहा गया कि आज तक जो जिस चीज़ से फायदा उठाते आये हैं ऐसे केसेज़ भी हो सकते हैं कि आज कई वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने दरख्त लगाकर काफी आमदनी हासिल करली हो, किन्तु इस प्रथा को जिसे आज समाप्त कर रहे हैं उस प्रथा के अनुसार ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्होंने दरख्त लगाये हों, फल प्राप्त नहीं किया हो, हम यह कह कर कि इसने नहीं इसके भाई ने या इसके बाप दादों ने इसका फल प्राप्त कर लिया है उसके फल से महरूम कर दें, यह कदापि उचित प्रतीत नहीं होता। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह कदापि प्रगतिशील कानून नहीं कहला सकता। वास्तविक प्रगतिशीलता तो इसी में हो सकती है कि हम ऐसा कानून बनायें आज की वस्तुस्थिति में, आज के वातावरण में जिन लोगों ने कुछ भी पैसा खर्च किया हो कुछ भी हक प्राप्त किये हों उनको हम समान दृष्टि में रखते हुए उचित मात्रा में जितना कुछ भी कर सके उसी में वास्तविक उदारता है और वही वास्तविक प्रगति है। अगर कोई यह कहता है कि उन लोगों ने पहले बहुत शोषण किया, पहले बहुत फायदा उठा लिया अब उनका गला काट देना चाहिये, यह जो दलील दी जाती है यह प्रगति की द्योतक नहीं। जो संशोधन इसमें जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह उनके लिये उपयुक्त है किन्तु जो इस प्रकार की विचार धाराओं

[ श्री तनसिंह ]

से अलग रहकर यह बताते आये हैं कि हम समाज के अन्दर डेमोक्रेसी या प्रजातंत्रीय शासय निर्माण करना चाहते हैं जिसके अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण अधिकार होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी सम्पत्ति पर अधिकार होगा, वह उसका समान सदुपयोग कर सकेगा, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की विचार-धारा का पोषण करने वाले व्यक्तियों के लिये उपयुक्त नहीं कि इस संशोधन का समर्थन करें। जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है या तो उसे माननीय सदस्य वापिस ले लें अन्यथा सदन उसे निर्दयता पूर्वक अस्वीकार करे।

**श्री रूपनारायण शास्त्री**—माननीय उपाध्यक्ष, जो इस क्लॉज़ पर विशेष बात कही जा रही है कि जिस किसी काश्तकार को किसी जमीन पर उसे अगर कोई खातेदारी के राइट मिल गये हों या उसका कब्जा मान लिया गया हो तो उस जमीन के कब्जे के साथ साथ उस जमीन में जितने भी दरख्त हैं वे भी उसके अधिकार में आ जायेंगे; उस स्थिति में उसका अधिकार मान लिया जाय जब कि उसका वह मुआवजा कम्पलीट चुका दे। अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो दरख्तों का अधिकार उसको नहीं दिया जायगा। इस क्लॉज़ में श्री एच. के. व्यास का संशोधन है। उस पर हमें न्यायोचित विचार करना है, इसमें हमें न्याय को प्रधानता देनी है। जमीन पर जितने भी वृक्ष उगते हैं वे प्रकृति से पोषण पाते हैं और प्रकृति द्वारा ही उगाये जाते हैं। उन दरख्तों पर केवल किसान का ही अधिकार हो, यह कदापि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, उस पर भूस्वामियों का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जिसका कि उस जमीन पर अधिकार रहा है। किसान ने उसका संरक्षण किया, यह जरूर है कि उसका फायदा किसान को भी मिले; तो किसान उन पेड़ों से लूंग पाला आदि प्राप्त करता है; जैसा कि हम शेखावटी में देखते हैं, लाखों रुपयों लूंग पाला आदि बाहर जाता है। किसान जब तक उस जमीन पर काश्त करता है उससे फायदा उठाता रहता है, उतने समय तक भूस्वामियों को एक पैसा भी नहीं मिला। हो सकता है कि किसी समय जागीरदारों ने शोषण किया हो किन्तु यह बात अब उसके लिये नहीं कहीं जा सकती। इसके अलावा मैं इतना जरूर और कह देना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि जागीरदारों ने इतने दिन इनसे फायदा उठा लिया, अब तो वे दरख्त किसानों के अधिकार में दे देने चाहिये क्योंकि किसान उस पर मेहनत करता है। मान लीजिये एक धनी पुरूष है जिसके बीस मकान हैं। दूसरी तरफ एक गरीब है जिसके पास एक भी मकान नहीं। उसके लिए आप यह कहे कि बे सब मकान गरीबों को दे देने चाहिये यह तो कदापि न्याय नहीं होगा। जिसकी जो चीज है वह उसे मिले, यही न्याय का मार्ग है। सारांश में जिस किसी किसान जो दस वर्ष तक एक खेत में खेती करता है, बाद में यदि कोई ऐसा ऑर्डिनेन्स निकल जाता है कि एक साल के लिए दूसरे किसान को खेती सम्हला देता है और उसी साल में ऑर्डिनेन्स निकला कि जिसके कब्जे में खेत हो उसी का समझा जाय। उस खेत में दरख्त भी होंगे जिसपर बेचारे ने दस वर्ष तक परिश्रम किया उन पेडों को हरे भरे रखा, उस बेचारे को उसका फायदा होना चाहिए। इस तरह से जिनके हाथ में

[ श्री रूपनारायण शास्त्री ]

अधिकार थे उनको अधिकारों से तो वंचित किया ही गया किन्तु साथ में वे दरख्तों से भी बंचित हो जायेंगे।

यह कहा जा सकता है कि जब एक किसान का उसकी खेती पर अधिकार होजाता है तो दरख्तों पर जो कि उसी के खेत में है कैसे दूसरे का अधिकार होगा। यह तो ऐसा होगा कि जमीन पर तो किसी का अधिकार है और उसमें जितने भी पेड़ है उन पर किसी दूसरे का। यह तो हुआ एक जमीन पर दो व्यक्तियों का प्रभुत्व। यह भी माना जा सकता है कि जिसका जमीन पर अधिकार हो, उसी का पेड़ों पर भी अधिकार होना चाहिये। लेकिन यह उसी अवस्था में मान्य हो जब कि वे पेड़ों का मुआवजा तुरी तौर से अदा कर दे। बिना मुआवजा दिये ही यदि अधिकार दे देते ? तो यह ऐसा होगा जैसे किसी की सम्पति का अपहरण कर किसी दूसरे को देना। यह कोई न्यायोचित बात नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा माननीय उपाध्यक्ष, कि यदि हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि किसी के हित में वह घातक तो नहीं है, सरकार को हमेशा न्यायोचित कदम ही उठाना चाहिये, न्याय-पथ का ही अवलम्बन करना चाहिये। साथ में सदन का भी यह कर्तव्य है कि वह न्याय को प्रधानता दे। न्याय की प्रधानता तो यहां तक मानी गई है कि आज हम देखते हैं कि यहां पर एक मकान में, मकान तो किसी का है और छत किसी दूसरे की। अगर कोई यह कहे कि यह छत तो मेरी है क्योंकि यह मेरे मकान पर है अत: छत भी मेरी ही होनी चाहिये. किन्तु यह कदापि नहीं हो सकता। यह हो नहीं सकता कि एक काश्तकार किसी जमीन पर काश्त करता है तो उसमें जितने भी आम आदि के पेड़ हैं, जो किसी दूसरे ने लगाये हैं वह किसान कहने लग जाय कि यह आम के पेड़ भी मेरे हो गये। यह कभी भी मान्य नहीं है। इसी प्रकार कुओं के बारे में भी हो सकता है।

मेरी जमीन में जो पेड़ हैं वे भी दूसरे को हवाला कर दिये जावे, तो यह कोई न्याय थोड़े ही है। जिसकी कोठी है तो उसकी कोठी समझी जावे, जिसके दरख्त हैं तो उसके दरख्त समझे जावें, जिसका मकान है तो उसका मकान समझा जावे। यह न्याय की चीज होगी। अगर काश्तकार नाम की भावना से ही प्रभावित होकर आप गड़बड़ करेंगे तो यह न्याय को तिलांजली देना होगा और यह काम इस सदन के लिए शोभास्पद नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मेरे मित्र श्री एच. के. व्यास के संशोधन का विरोध करता हूं और क्लॉज़ ५६ जिस रूप में रक्खा गई है उसी रूप में उसको रक्खे जाने का मैं समर्थन करता हूं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लॉज़ को लेकर काफी चर्चा हुई है और बहुत मों ने बहुत सी भिन्न भिन्न बातें कहीं। पर जो भी कानून हम बनावें वह वस्तु—स्थिति और उसके औचित्य को देखते हुए बनावें जिससे ज्यादा ठीक हो।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

तो ज्यादा ठीक यह है कि जिस भूमि पर किसान का कब्जा है उस पर अगर दरख्त हैं तो उस पर भी उसका अधिकार होना चाहिये । अब तक कई जगह चला यह आ रहा है कि एक जमीन पर काश्तकार का हक तो है पर उस पर अगर दरख्त है तो उस पर हक दूसरे का चला आ रहा है । तो इस कानून के द्वारा हम यह कह रहे हैं कि उस जमीन पर जो दरख्त हैं उसका हक तो किसान को मिल जावे पर साथ साथ अगर दरख्त पर किसी का प्रोपर्टी का हक है, इस कानून के लागू होने के समय था, उसका मुआवजा दिया जावेगा । मैं नहीं समझता हूँ कि इससे इन्कार कैसे किया जा सकता है ? हर पहलू से विचार करने पर यही ठीक प्रतीत होता है ।

दूसरी बात, बहुत से माननीय सदस्यों को यह पता नहीं होगा कि राजस्थान में ऐसे भी हल्के हैं कि जहां पर जमीन पर दो-तीन दरख्त भी अगर दूसरे के हों तो तीन दरख्त से उसकी सालाना आमदनी तीन सौ-चार सौ रुपया हो सकती है । इतनी आमदनी है इससे, इस कारण यह स्थिति है । उदयपुर डिवीज़न में ऐसे पेड़ आम के बड़े बड़े मिलेंगे कि जिससे आसानी से १५०), २००) की आमदनी सालाना उनको हो जाती है और इन प्रश्नों को सोचते वक्त हमने इन बातों को सामने रखा है ।

अब यह कल्पना करके हमें नहीं चलना चाहिये कि वे सब जागीरदार ही हैं । वे काश्तकार भी हो सकते हैं । हर वक्त हम इसी बात को दिमाग में रख कर बातें करने लगेंगे तो हम कई उलझनों में पड़ जावेंगे । हमें तो यह देखना है कि जो भी जिसका दरख्त है और जिसकी आमदनी उसको मिलती रही है और जिस पर उसका स्वामित्व का अधिकार रहा है ,उसको कानून के अन्तर्गत काश्तकार को दिलाते समय उसका कम्पेन्सेशन उसके स्वामी को दिलाया जाना चाहिये और इस क्लॉज़ में हम उसको इसके लिए कम्पेन्सेशन दिला रहे हैं । तो इस क्लॉज़ का तो ज्यादा स्वागत करना चाहिये और आपको यह सोचना चाहिये कि इससे तो किसानों को हमेशा के लिए उन दरख्तों पर हक मिल रहा है ।

कुआ बनाता है जमीन पर कोई, तो हम मानते हैं कि कुए का मुआवजा देना चाहिए । अगर कुए का मुआवजा देना चाहिये तो जब दरख्त भी कुए जितनी आमदनी देता है तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं रहता कि कुए का तो मुआवजा दिया जावे पर पेड़ का न दिया जावे । फिर तो यह कहना होगा कि कुए का भी मत दो और कोई इम्प्रूवमेंट उस पर हो तो वह भी न दो । तो मैं यह मानता हूँ कि यह उचित नहीं होगा । फलदार और बड़े बड़े जैसे आम, जामुन आदि दरख्तों के लिए यह झगड़ा होता है और जहा तक मेरी जानकारी है ये झगड़े आम के दरख्तों पर ज्यादा होते हैं और इसको कन्सीडरेशन में न लेना वाजिब नहीं होगा । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो श्यामलालजी ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार करके इस क्लॉज़ को स्वीकार किया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६, एज अमेन्डेड, स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ५६, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री भैंरूसिंह—एक अमेन्डमेंट रह गया श्री एच. के. व्यास का साहब।

श्री उपाध्यक्ष—वह अमेंडमेंट के तौर पर नहीं, किन्तु सुझाव के तौर पर लाया गया है। अमेन्डमेन्ट के तौर पर मूव नहीं किया गया था और इस पर बहस की इजाजत दे दी गई थी।

नेक्स्ट, क्लॉज़ ६०। श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड ६० में मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है : " At the end of sub-clause (1) of clause 60, the following words be inserted:—

"and where the land is let out to any other person, the tree shall vest in such other person subject to the payment of such compensation as may be prescribed by rules made under section 59.''

यह क्लॉज़ अनऑक्यूपाइड लैंड पर जो ट्रीज़ हैं उनकी मिल्कियत किसकी होगी इसके लिए प्रोविज़न करती है।

सब क्लॉज़ (२) में यह क्लियर है कि अनऑक्युपाइड लैंड पर जितने भी दरख्त होंगे वे सब लैन्ड होल्डर की प्रोपर्टी समझे जावेंगे, पर सब क्लॉज़ (१) इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें यह कहा गया है कि :

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

"60 (I) A person, who is, at the commencement of this Act, in lawful possession of any tree standing on unoccupied land, shall continue to remain possession thereof.

तो यह ठीक है प्रोवीज़न उस हद तक जब तक कि वह "Land unocucipied, "unoccupied" means not duly let out. वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी अनआक्युपाइड लेन्ड किसी शख्स को लेट आउट कर दिया जाय और उस पर वह काश्त करने लग जाय तो उस सूरत में उन दरख्तों का जो उस लेन्ड में पहले से था क्यां हो। इसके लिए स्पष्ट कोई भी धारा नहीं थी। उसको प्रोवाइड करना जरूरी थे। ट्रीज के मुताल्लिक चर्चाएं चल रही है। उन चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि जो जमीन का मालिक है वह ट्रीज उसी को दे दिये जायं। ऐसी निश्चित भावना हैं, और उस भावना को जब हम लेकर चलते हैं और किसी अनऑक्युपाइड लेन्ड को किसी शख्स को लेट आउट कर दिया जाय तो यह सवाल जरूरी है कि उस पर जो दरख्त हैं तो वह उस शख्स को दिये जायं जिसको कि लेन्ड लेटआउट की गई है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह दो तरह की मिल्कियत हो जायगी। जमीन किसी के पास होगी और दरख्तों की मिल्कियत दूसरों की होगी। इसलिए ऐसे केसेज़ के लिए यह प्रोवाइड किया गया है कि अगर ऐसी जमीन किसी दूसरे को काश्त करने के लिए लेट आउट कर दी जाय तो वह दरख्त जो कि उस जमीन पर हैं उनका कम्पेन्सेशन निर्धारित किया जायगा जिनको कि दफा ५६ में प्रेस्काइब कर दिया गया है और जिसको जमीन लेट आउट की जायगी वह उस कम्पेन्सेशन को दरख्तों के मालिक को दे देगा। यह प्रोवीज़न निहायत जरूरी है जो इसमें होना चाहिए। इसलिए यह इसमें प्रस्तुत किया गया है, और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट उसी अनआक्युपाइड लेन्ड के लिए है और अनऑक्युपाइड लैंड के लिए ऐसा अमेंडमेंट चाहिए। उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**—'The land' के बजाय 'such land' कर दिया जाय तो अच्छा है।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

**(विराम)**

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६०, एज़ अमेंडेड, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६०, एज़ एमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खंड ६१

क्लॉज़ ६१, श्री श्यामलाल गोयल।

**श्री श्यामलाल गोयल**—Mr Deputy speaker, Sir, I move the following amendment cf clause 61 by the following:—

By my amendment I wish to substitute the present clause 61 by the following;—

"61—Trees not transferable independently of land—Subject to the other provisions of this Act, all trees standing on any holding shall, be deemed to be attached to the land and no interest thereon shall, after the commencement of this Act, be transferable independently of the land save and except by way of lease for a period not exceeding one year at a time."

मूलधारा जो इस एक्ट में थी उसमें लीज़ के लिए कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर किसी टिनेन्ट की जमीन पर कोई दरख्त हैं तो क्या वह उन दरख्तों को लीज़ दे सकता है। बहुत सी जमीनों पर फलदार दरख्त होते हैं और उस काश्तकार को यह जरूरी हो सकता है कि ऐसे फलदार वृक्षों को वह लीज पर दे दे कुछ समय के लिये ताकि वह खुद जमीन की तरफ देखता रहे और उसकी अच्छी सम्भाल करे और दरख्तों की पैदावार पर दूसरा सम्भाल करे। ऐसी स्थितियां होती हैं, जिनके लिए इस क्लॉज़ में कोई प्रोविजन नहीं था। इसीलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत करके उसमें यह शब्द और बढ़ाऐं हैं : "save and except by way of lease for a period not exceeding one year at a time." इन लफ्ज़ों से अगर कोई मालिक, जो दरख्तों का है किसी जमीन पर है, एग्रिकलचर लेंड पर है तो उसको यह अख्त्यार दिया गया है कि वह एक समय में एक साल की लीज़ उन दरख्तों की दे सकता है।

टिनेन्सी एक्ट में जो भी हमने प्रोवीज़न्स किये हैं उनमें सब टिनेन्सी के लिये भी प्रोवाइड किया गया है। काश्तकारों को यह अख्त्यार दिया गया है कि वे अपनी जमीन को दूसरों को सबलेट कर सकते हैं। जब जमीन के सब लेटिंग के लिए इजाजत दी जाती है तो नेचुरली उसके साथ-साथ जमीन पर उगे हुए जो दरख्त हैं उनकी लीज़ का कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए। यह एक

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

रह गई थी मूलधारा में। उस मूलधारा की कमी को पूरा करने के लिए मेरा यह संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय उपाध्यक्षजी, जो अमेंडमेंट श्री श्यामलालजी गोयल ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसे स्वीकार करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलालजी गोयल ने क्लॉज़ ६१ में प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६१, एज़ अमेंन्डेड, विधेयक को अंग बने

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ६१, एज अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

**खण्ड ६२**

क्लॉज़ ६२, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है।

( विराम )

The question is that clause 62 be accepted.

( स्वीकृत )

Clause 62 is added to the Bill.

( विराम )

क्लॉज़ ६३, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

( अनुपस्थित )

श्री हरिकृष्ण व्यास।

# Page No.50



**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 63 - Amendment No. 365:

"In line two after the word 'landholder' insert the following:—

"or of the Sub-Divisional Magistrate"

क्लॉज़ ६३ में टिनेन्ट्स के लिये यह शरायत मुकर्रर कर रहे हैं कि जिन शरायत के मातहत वह पेड़ कटवा सकता है या हटवा सकता है, और उसके पहले जो २ पार्ट्स हैं, उन पहले दो भागों में खातेदार टिनेन्ट के सिलसिले में विशेषकर यह दर्ज किया है :

"(2) A Khatedar tenant may of his own accord remove trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use."

अब खातेदारी टिनेन्ट के बाद जब गैर खातेदार टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के सिलसिले में हम देखते हैं तो यह प्रोविजन किया है कि:

" A Khatedar tenant or a tenant of khudkasht may, with the previous permission of his landholder, remove any tress etc. etc."

इस क्लॉज़ ६३ (३) का मतलब यह होगा कि किसी गांव में एक गैर खातेदार काश्तकार या खुदकाश्त की जमीन के ऊपर काश्त करनेवाला एक शख्स है। वह अपना हल चला रहा है। चलाते चलाते हल टूट गया और उसे दुरुस्त करने के लिये उसको कुछ लकड़ी की आवश्यकता हुई; तो अभी की परिस्थिति में तो वह लकड़ी इस्तेमाल करके अपने हल को या हर प्रकार के एग्रीकल्चर के साधनों को दुरुस्त कर सकता है, लेकिन जब नया टिनेन्सी कानून पास हो जाता है तो वह कहेगा कि नहीं भाई, हल टूटा है तो पहले जाकर लैंड होल्डर की इजाजत लेकर आओ, उसकी इजाजत मिलने के बाद खेत के अन्दर की लकड़ी काम में लाओ । ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घरेलू काम अथवा खेती सम्बन्धी काम के लिये उसको पेड़ इस्तेमाल करने का दरअसल में कोई अधिकार नहीं है। ऐसा साफ साफ इसका अर्थ होता हैं। यह ज्यादा सही होता माननीय उपाध्यक्ष, यदि इस कानून में ऐसा दर्ज कर दिया जाता, स्पष्ट तौर से कि गैर खातेदार काश्तकार या खुदकाश्त काश्तकार जो है, जिनको खुदकाश्त का नाम करण कर दिया है उनको अपनी जमीन पर खड़े हुए पेड़ को खेती के काम या घरेलू काम के लिये इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा कहते तो ज्यादा दुरुस्त होता। लेकिन हमने जो प्रोविजन रखा है वह स्पष्ट न होने से ज्यादा नुकसानदे है । यदि आप मना करदें तो काश्तकार को मालूम तो हो कि वह पेड़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज के प्रोविजन के अनुसार उसको जाना पड़ेगा, जूतियें घिसनी पड़ेगी और हाथा-जोड़ी करनी पड़ेगी और अंत में नतीजा यह होगा कि उसको इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। प्रोप्राइटरी राइट का चेप्टर तो अलग खत्म हो गया, अब

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

काश्तकार को खेती के काम के सम्बन्ध में लकड़ी चाहिये और वह अपने जमीन पर खड़े हुए पेड़ की लकड़ी काम में लाना चाहता हैं तो उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी और उसका मतलब यह होगा कि उसको पर्मिशन मिलेगी नहीं और काश्तकार को लकड़ी भी मिलेगी नहीं। मैंने संशोधन यह प्रस्तुत किया है कि ऐसा मौका आने पर काश्तकार को कोई हक तो हो। सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि जैसा खातेदार को अधिकार है वैसा ही गैर खातेदार टिनेन्ट को और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को भी अधिकार मिलना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतना तो अवश्य मैं मनाना चाहूंगा कि लैंड होल्डर यदि इजाजत नहीं दे तो उसकी अपील की तो गुंजायश जरूर होनी चाहिये। लैंड होल्डर यदि पेड़ काटने की इजाजत नहीं दे तो तहसीलदार या एस. डी. ओ., मैंने एस. डी. ओ. रखा है, की इजाजत लेकर पेड़ काट सकता है। लैंड होल्डर को ही मनाही करने का आखरी अधिकार नहीं होना चाहिये, ऐसा मेरा संशोधन है। मेरा ख्याल है कि इसको स्वीकार कर लिया जायगा, अच्छी तरह सोचकर। यदि स्वीकार नहीं किया गया तो भी राजस्व मंत्रीजी इस बात की तसल्ली मानें और उधर के बैठे हुए मित्र भी तसल्ली रखें कि आप इस एक्ट की इस क्लॉज़ के अनुसार काश्तकारों को नहीं रोक पायेंगे। वे लकड़ी कोटेंगे और आपके कानून को तोड़ कर काटेंगे। अधिकारी लोग सैकड़ों लोगों को परेशान करेंगे लेकिन लोग लकड़ा इस्तेमाल करेंगे। यह क्लॉज़ एन्फोर्स नहीं होगा केवल रिश्वतखोरों को लोगों को परेशान करने के लिये मौका मिलेगा। इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिये। जो बंधन आप डाल रहे है वह लागू होगा नहीं, आपसे होगा नहीं। किसी एक दो आदमी को पकड़कर रिश्वतखोर परेशान करने का तरीका अख्त्यार करेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? इस दृष्टिकोण से मैं अर्ज करूंगा कि मेरा संशोधन मान लिया जाय। मुझे उम्मीद है कि गंभीरता से विचार करने के बाद मेरी बात माननीय राजस्व मंत्रीजी के समझ में आजायगी।

**श्री तनसिंह**—चेअरमेन महोदय, इस क्लॉज़ पर मेरा एक अमेन्डमेंट है जिसमें 'सब' डिवीजनल ऑफिसर' की जगह पर "तहसीलदार" करने के बारे में मैंने निवेदन किया है। मेरा यह संशोधन टेक्नीकल नेचर का हैं और शिड्यूल में परिवर्तन हो चुका है। मैं समझता हूं कि "एस. डी. ओ." के स्थान पर "तहसीलदार" करने में किसी को ऐतराज नहीं होगा।

**श्री श्यामलाल गोयल**—माननीय उपाध्यक्ष, जी सब क्लॉज ६३ में सब क्लॉज (७) में मेरा एक छोटा सा संशोधन है। वह छोटा सा है लेकीन है महत्वपूर्ण; वह इस तरह है :

"In line 1 of sub-clause (7) of clause 63 before the words 'the State Goverment' the words 'a grove holder or' be added. यह संशोधन होने के बाद यह सब क्लॉज़ इस तरह पढ़ा जायगा :

"Nothing in this section shall apply to a grove holder or the State Government or affect the right or power of the state Government to remove or cause to be

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

removed or order the romoval of anytree Standig on any land entered in the name of the State in Revenue records and for any purpose whatever." टिनेन्सी एक्ट जो बनाया गया है उसमें ग्रोव होल्डर की एक स्पेशल पोजिशन रखी है। ग्रोव होल्डर को हमने टिनेन्ट नहीं माना है बल्कि लैंड होल्डर माना है और लैंड होल्डर को जो अख्त्यार दिये गये हैं वे सब सेक्शन(१)में है :

"63 (1)—A land-holder may of this own accord remove trees standing on unoccupied land in his possession for his own domestic or agricultural use."

लैंड होल्डर को शुरू में ही इतने अधिकार दे दिये गये हैं लेकिन ग्रोव होल्डर की टिनेन्सी एक्ट में जो पोजिशन रखी गई है, उनको जो अख्त्यार दिये गये हैं, उनको यदि हम देखें तो ग्रोव होल्डर को जहां तक सब टिनेन्ट्स को सब लेटिंग का सवाल है कोई नियंत्रण नहीं रखा है। जहां तक जमीन को सेल करने का सवाल है, मोर्टगेज आदि करने का सवाल है,वहां पर भी उन पर हमने किसी तरह का नियंत्रण नहीं रखा। जहां तक जमीन को सेल करने का सवाल है, सिविल या रेवेन्यू कोर्ट की डिक्री में सेल किया जा सकता है, क्योंकि किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए जब सब तरह के ट्रान्सफर के अख्त्यार देते हैं तो ट्रीज़ के मामले में यह अख्त्यार दिया जाय कि चाहे एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक पर्पज़ेज़ के लिए हटा ले तो उससे कुछ होने वाला नहीं है एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिये जरूरत होगी ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ेज़ के लिये कितनी जरूरत हो सकती है यह अंदाज लगा सकते हैं। तो तमाम बातों को देखते हुए यह जरूरी था कि फुल अख्त्यार दिये जाते कि ट्रीज़ से जैसे डील करना चाहते करते। इसलिये इस शब्द को बढ़ाना जरूरी था। इसको स्पेसिफिक करने के लिये ग्रोव होल्डर बढ़ाने का अमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है।

एक अमेन्डमेंट श्री एच. के. व्यास ने खण्ड ६३ [३] में पेश किया है जो इस प्रकार है :

'With the rprcious permission of his landholder"के साथ 'or of the Sub-Divisional Magistrate'

इसे और बढ़ाना चाहते हैं। मै इसके मुतल्लिक यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो उसूल श्री एच. के. व्यास ने बतलाया वह बिल्कुल ठीक है कि एक गैर खातेदार टिनेन्ट को अगर उसका लैंड होल्डर जमीन पर जो दरख्त हैं उनको न बतलाये, उनको परमिशन नहीं दे तो ऐसी सूरत में यह प्रोविजन जरूर दिया जाना चाहिये कि वह एस. डी. ओ. के पास दरख्वास्त करके इजाजत हासिल कर ले। पर मैं समझता हूं कि 'लैंड होल्डर' शब्द में ही यह ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आज जागीरें खत्म हो गई है इसलिये कोई जागीरदार की खुदकाश्त जमीन उसको काश्त को मिली तो वह टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त होगा, गैर खातेदार टिनेन्ट वह होगा जिसके लिये कि खण्ड १५ में प्रोवाइड करके लिखा है कि भाखरा नांगल आदि में स्टेट की जमीन होगी, जिनको बताये गवर्नमेंट

[ श्री श्यामलाल गोयल ]

काश्त के लिये और पर्चे न दिये जायं या दूसरी सिवाय चक जमीन जिसको सरकार काश्त की बतावें बिना पर्चे दिये हुये। सरकार भी लैंड होल्डर है ही।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—इसमें टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त भी है।

**श्री श्यामलाल गोयल**—हां, इसमें टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है। इसके लिये प्रोविजन नहीं है। इसके लिये लैंड होल्डर नहीं देता है तो उसको मिलना चाहिये, यह इसमें होना चाहिये। मैं उनके अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ।

**श्री चांदमल मेहता**—Mr. Deputy Speaker, sir, I beg to move the following amendment to clause 63;—

"Add the following proviso at the end of the clause:-provided that notwithstanding anything contained in any of the sub-sections of section 63 green trees shall not be removed except for agricultural use."

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६३ में पेड़ कौन कौन हटा सकता है, इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। पेड़ों का कितना महत्व है, इस सम्बन्ध में कहने की आवश्यकता नहीं। पेड़ लगाने के लिये प्रतिवर्ष सरकार की ओर से सैकड़ों हजारों रूपये खर्च किये जाते हैं और प्रति वर्ष जितने पेड़ कटते हैं उतने लगाये नहीं जाते और इसका नतीजा यह हो रहा है कि पेड़ों का दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। इस दृष्टि से गई सालों में कई तहसीलों में यह स्थिति पैदा हो गई है कि काश्तकार को अपने काश्तके काम के लिये लकड़ी नहीं मिलती। खातेदार टिनेन्ट के, गैरखातेदार टिनेन्ट को और सब टिनेन्ट को; सबको एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिये लकड़ी काटने का अधिकार दिया है। मैंने अपने अमेंडमेंट के जरिये यह निवेदन किया है कि हरे पेड़ काश्तकारी के उपयोग के अलावा घरेलू किसी काम के लिये न काटने दिये जायं। नहीं तो लैंड होल्डर्स के बड़े-बड़े मकान हैं वे लोग काश्त के नाम पर या घरेलू काम के नाम पर लकड़ी कटवा लेंगे और इस तरह पेड़ों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

खातेदार टिनेन्ट के ऊपर भी कठिनाई आ सकती है कि उसको किसी काम के लिये लकड़ी की जरूरत है, जैसे मकान बनाने के लिये दिक्कत होती है तो वह सोचता है कि मेरे पास लकड़ी है, उसको काटने की इजाजत मिल नहीं सकती, तो वह चद्दर वगैरह का इस्तेमाल करता है; सैकड़ों पेड़ बच सकते हैं। केवल किशनगढ़ सब डिविजन में पचास-साठ हजार वृक्ष इस वर्ष कटे हैं; तो एक वक्त आयेगा कि किसान को काश्त के काम के लिये लकड़ी नहीं मिलेगी और यहां तक कि चऊ, हल-हाल, आदि के लिये भी लकड़ी नहीं मिलेगी। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि काश्त के

[ श्री चान्दमल मेहता ]

काम के अलावा किसी काम के लिये, हरे पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी जाय। मुझे आशा है कि मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार किया जायगा।

**श्री जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस क्लॉज़ में छोटा सा होते हुए भी मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन इस प्रकार है कि प्रोविजो इस प्रकार से एड कर दिया जाय:"Provided that a tenant shall be entitled to remove a tree for agricultural purpose from unoccupied land without any licence"

माननीय उपाध्यक्ष, इन तमाम क्लॉज़ेज़ को देखें।

मैंने इन तमाम क्लॉज़ेज़ को अच्छी तरह देखा है। काश्तकार पर किस प्रकार से प्रतिबन्ध हरे वृक्ष नहीं काटने के सम्बन्ध में लगा हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में सब बातों को देखा है। मगर मुझे इस क्लॉज़ में कोई ऐसा प्रोविजन नजर नहीं आया कि वास्तव में किसान की परेशानी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कहीं इस क्लॉज़ में या किसी दूसरी क्लॉज़ में देखने को नहीं मिला। मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में एक मामूली दृष्टान्त देता हूं। थोड़ी देर के लिये मानलें कि एक काश्तकार के पास एक कुआ है और उस पर रहट चाहता है। सिरोही-पाली आदि की तरफ आपको रहट के कुए बहुत मिलेंगे। इधर तो कम मिलेंगे। उसको रहट टूट जाने के लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान के दूसरे हिस्सों में चाहे चरस से पानी निकाला जाता हो या और कोई दूसरा तरीका काम में लिया जाता हो लेकिन राजस्थान के काफी हिस्सों में रहट से पानी निकाला जाता है। इसमें कई लकडियों होती हैं। एक काश्तकार सिंचाई कर रहा है। अगर सिंचाई करते करते उसकी एक लाट टूट गई या टूट जाती है तो काश्तकार को बडी भारी परेशानी हो जाती है। अगर वह दो—तीन दिन में उस लाट की लकडी की पूर्ति नहीं करता है तो उसकी वह कुल फसल बरबाद हो जाती है क्योंकि उसके पास इसके सिवाय पानी निकाल कर अपनी फसल को पिलाने के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं। मैं यह कहूंगा कि आप यह कह सकते हैं कि आर.पी.टी. ओ. में इसके लिये प्रोविजन है कि वह इसके लिये दरख्त को काट सकता है। लेकिन इस वास्तविकता की तरफ हमें ध्यान देना है, अगर आप इस तरह का प्रोविजन रखेंगे तो उस गरीब को अर्जी लेकर लकड़ी के लिये जाना पड़ेगा। वह बहुत गरीब है। एक अर्जी को लेकर पहले रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पास जाता हैं और इन्सपेक्टर उस पर सिफारिश कर देता है। तो उसके बाद वह उस अर्जी को लेकर तहसीलदार के पास जाता है। इस तरह से मैं समझता हूं कि कम से कम उसको १०-१५ दिन तो लगही जावेंगे। १०-१५ दिन का लगना तो एक मामूली और साधारण सी चीज है इसलिये एक जरूरी लकड़ी की इजाजत हासिल करने के लिये उसको १५ दिन लग जावेंगे। इतने दिनों में उसकी फसल बरबाद हो जावेगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप उसकी फसल की तरफ ध्यान दीजिये। उस गरीब की ४-६ महीनों की कमाई इसीलिये बरबाद हो जाती है कि उसको वक्त पर लकड़ी नहीं मिलती है आप यह कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मिल सकती है और इसके अलावा वह इस बहाने हर तरह लकड़ी काट

[ श्री जवानसिंह ]

लेगा और इससे बहुत नुकसान होगा, इसलिये रोक रखना जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं कि लकड़ी काटने में रोक-थाम का होना जरूरी है और रोक-थाम होनी चाहिये और इसीलिये मैंने लकड़ी काटने पर रोक-थाम अवश्य रखी है। जहां पर काश्त के सिल-सिले में किसी लकड़ी की आवश्यकता हो तो उस समय काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिये और इस कानून द्वारा कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये जिससे कि वह लकड़ी को काट कर अपनी सिंचाई का प्रबन्ध कर सके। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्तकार के लाइसेन्स लेने की जो बात है, वह पाबन्दी काश्तकार पर नहीं लगाई जावे। लकड़ी दूसरी बातों के लिये काटने पर अवश्य रोक लगाई जावे। अगर यह बात यहां पर पास नहीं हो तो इसका रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑर्डीनेन्स जिसको पास करने जा रहे हैं, उसमें आ जाती। इसका होना मैं आवश्यक समझता हूं कि हरे वृक्ष नहीं काटे जावें लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्तकार को लकड़ी काटने के बारे में रोकथाम नहीं की जावे ताकि वह काश्तकार अपनी सिंचाई के लिये जरूरत के माफिक लकड़ी काट कर अपना काम चला सके। मिसाल के तौर पर एक किसान हल चला रहा है। फसल का मौसम है। हल टूट जाता है। वर्षा शुरू है, वह खेत में खड़ा है। अगर उस समय आप इस बात का अधिकार उसको नहीं देते हैं कि वह लकड़ी काट कर अपना हल ठीक कर सकता है तो उसको आपके प्रतिबन्ध के अनुसार तहसीलदार या एस. डी. ओ. के पास जाना होगा। वह उनके पास जावे और बाद में इजाजत लेकर आकर फिर हल ठीक करके खेतीबाड़ी का काम शुरू करे तो उसके लिये यह तो बहुत ही विघ्न डालने वाली चीज होगी। वर्षा तो २-४ रोज। होगी ही, उसको फिर खेती से किसी तरह का फायदा नहीं होगा। अब सवाल यह रहता है कि अगर किसी प्रकार की रोक थाम नहीं करेंगे तो कोई दरख्त काट लेंगे। मैं यह कहूंगा कि काश्तकार के हित में यह बात है और काश्तकार के हित को ध्यान में रखते हुए इसको मंजूर करें।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—आप अपना संशोधन एक दफा और पढ़ दीजियेगा।

**श्री जवानसिंह**—संशोधन इस प्रकार है

"Provided that a tenant shal be entitled to remove a tree for agricultural purpose from unoccupied land without any licence."

**श्री ईश्वरसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, करीब करीब श्री जवानसिंहजी ने जो बातें बताई हैं वे सब करीब करीब आ गई हैं। वा में वे बातें रखी है जो दूसरी जगह रखी हैं। वे तो सियालकोट सू आया और ५ दिल्ली से आया वे भी सामिल। अमेरिका से आया वे भी सामिल। अठे की चीज को कोई एक भी जानकर नहीं। आ बात कह रया है कि काश्तकार पर आ पाबन्दी लगा दी जावे कि लकडी नहीं काट सकेगा। भला काश्तकार रे वास्ते आ बात कितो नुकसान री है। हल चलाता है, हल में कितनी लकडी होती है, हल में १६ लकड़ी होती है, वो में एक भी लकड़ी टट जावे तो

[ श्री ईश्वरीसिंह ]

जागीरदार या तहसीलदार कने जा ने इजाजत लो। खेत की फसल १५ दिन की होती है। फसल निकल जावे फेर जमीन किस काम की। अगर इजाजत लेवाने जावे जिते १५ दिन लाग जावे तो फसल निकल जावेगी। फेर यह कोई किसानों रे हित रो कानून है। एक कुओ चाले है। कुए में ६० लकड़ी लगाई जावे है वा में एक लकडी भी टूट जावे तो सब बेकार हो जावे। वा लकडी भी कितनी बड़ी चाहिये, १६ फीट लम्बी लकडी लागे और जब १६ फीट लकडी लागे तब कहीं जाय वो कुओ चाल सके है। चाहे अठे जावे चाहे तहसीलदार कने जा ने लकडी री इजाजत लावे, चाहे जागीरदार कना सु लावे फसल बिगड जावे उणरे बाद में इजाजत कई काम री उण गरीब ने तो हजारों रुपयां री नुकसान हो जावे। तो मारी समझ में तो आप कानून बना रया हो के काश्तकार लकड़ी नहीं काट सकेगा तो ओ बेकार बना रया हो। कोई भी काश्तकार बिना जरूरत कोई दरख्त नहीं काटे। दरख्त काश्तकार ने बेटे सूं भी प्यारो लागे है। अगर वे लोग फजूल दरख्त काटता तो हमारे सीकर में ठीकाने की तरफ से १०० वर्षों में भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायो गयो। काश्तकार की मर्जी है जैसो दरखत चाहिये काट ले। उठे बहुत दरखत है। अगर किसान अपनी मरजी से काटता तो आज एक भी दरखत नहीं दिखाई पड़तो। काश्तकार ने दरख्त बहुत प्यारो लागे है। उणरी छाया में वो बैठे और उणरा जानवर भी बैठे है। दरखत काश्तकार ने बुरो कोनी लागे। अब एडो कानून बना कर रोड़ो पैदा हो जावेगो। काश्तकार रे जरूरत होगी तो दरखत काटेगो। इण वास्ते आप लोगां रे वास्ते इस तरह रो कानून बनावणों शर्म री चीज़ है, शोभा की चीज़ नहीं है। आपको कोई शोभा नहीं मिलेगी और न आपरो ओ कानून चल सकेगो। इसलिये मैं आप लोगों ने आ अर्ज करूं हूं कि आप अच्छी तरह सोच ने कानून बनावो ताकि व उठ नहीं सके यो। यों तो कोई कानून नहीं है।

**श्रीमती यशोदा देवी**—माननीय उपाध्यक्ष, यह कानून पास करते वक्त हमको सबसे पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं वकीलों को हो हम जेबें मजबूत करते जा रहे हैं क्या? जो वकीलों के लिए इस टिनेन्सी बिल की आड़ में स्वर्ग की सीढ़ी तैयार हो रही है वह कहीं बन्द न हो जाय? यदि इसमें हर जगह वकील को मौका दिया जायगा तो किसान बेचारा इधर से उधर भटकता फिरेगा। मैं कहती हूं माननीय उपाध्यक्ष, काश्तकार पेड़ काटने की इजाजत के लिए ग्राम पंचायत में दरख्वास्त दे सकता है और पेड़ काटने की इजाजत ग्राम पंचायत के जरिये से ले सकता है। अगर ग्राम पंचायत नहीं है और टूट सकती है तो उसके लिए तहसीलदार को बाद में अपील कर सकता है। जहां तक ग्राम पंचायतें हैं, तहसील पंचायत हैं वहां तक तो मामला तहसील में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूं कि यह क्लॉज़ पास करने से पहले विचार कर लिया जाय और इसके लिए ग्राम पंचायतों को अधिकार सौंप दिये जांय।

**श्री घासी सिंह**—खण्ड ६३ पर जो बहस मुबाहसा हो रहा है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य कोई पेड़ लगाने वाले हैं या वे यह नहीं जानते हैं कि काश्तकार किसलिए लगाते हैं, किस तरह उनका पालन करते हैं? यह तो समझ में नहीं आता कि चूंकि काश्तकार

[ श्री घीसीसिंह ]

पेड़ों को बरबाद करते हैं इसलिए यह पाबन्दी लगा दें कि वे उनको कतई न काटें। मैं आपको निवेदन करूंगा कि काश्तकार जो पेड़ लगाते हैं वे अपने फायदे के लिए लगाते हैं और वे उनकी बड़ी हिफाजत करते हैं। कोई कभी उन पेड़ों की एक टहनी भी काटता है तो उनको बड़ा दर्द होता है। काश्तकार के लिए हल वगैरह के लिए इजाजत देते हैं, किन्तु उसको मकान पाटने की जरूरत पड़ती है या कूआ बांधने को भी जरूरत पड़ती है, उस समय उसको पच्चीसों लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और जहां पचास-पचास हाथ लम्बी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए वे लाइसेन्स लें तो कितना उनके लिए मुश्किल हो जायगा। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आप कहते हैं कि पैड़ों को मत काटें। तो क्या राजस्थान के लिए आपको कजली वन बनाने हैं? क्या हाथी गायें बांधनी है, पालनी हैं, लकड़ो के हाथ न लगावें, हाथी नहीं लेने हैं। यदि वक्त जरूरत भी पेड़ों को काम में नहीं लेवें तो फिर उनको लगाना ही गुनाह है। लोग इस तरह से लगावेंगे भी नहीं। जो बड़े भारीं पेड़ दिखाई देते हैं तो फिर उनका आगे नामोनिशान भी नहीं होगा और धूप से बचने के लिए छाया भी नहीं रहेगी। जब पेड़ लगाने वालों को दिलचस्पी ही नहीं रहेगी तो पेड़ पैदा ही कैसे होंगे? पैड़ों के लिए कतई पाबन्दी नहीं रहनी चाहिए और किसानों को हक हो कि वे अपनी मर्जी के माफिक उनको काटें। सब-टिनेन्ट खातेदार की इजाजत से पेड़ काट सकता है और बिना इजाजत के नहीं काट सकता है, यह परम्परा से रिवाज चला आया है और उन पेड़ों को हम काटते आये हैं। आज जो पाबन्दी उन पेड़ लगाने वालों के लिए लगाई जा रही है तो यह एक बड़ी भारी मुसीबत उन लोगों के लिए पेदा की जा रही है। तो पाबन्दी कत्तई नहीं होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार पेड़ काटते रहने से ही पेड़ सुरक्षित रह सकते हैं और ज्यादा पेड़ भी लगाये जा सकते हैं, वरना चोरी से लुक-छिप कर पेड़ काटेंगे और लगायेंगे नहीं तो फिर पेड़ होंगे कहां से? इससे रात-दिन मुकदमे बाजी होगी और यदि वकीलों की ही इस प्रकार की बातें रख कर जेब गरम करना है तो दूसरी बात है।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—माननीय उपाध्यक्षजी, इससे पहले कि मैं सदन के सामने इस मूल क्लॉज़ के ऊपर कुछ बातें कहूँ जो संशोधन माननीय सदस्य श्री श्यामलालजी गोयल और श्री एच० के० साहब ने पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूँ। श्री श्यामलालजी ने जो संशोधन पेश किया है उस सम्बन्ध में मैं यह कहूँगा कि उन्होंने चेप्टर १२ की ओर गौर नहीं किया है। अगर दफा १४७ की ओर गौर करें तो पता चलेगा कि :

"Notwithstanding anything contained in Chapter VII, a grove-holder may cut and sell trees and may replant trees as they are cut or die."

यह लिखने के बाद शायद इस संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ग्रोव होल्डिंग पर यह प्रोविज़न एप्लाई करें या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं यह जो संशोधन श्री श्यामलालजी ने पेश किया है वह रिडन्डेन्ट हो जाता है।

[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

जहां तक एच० के० व्यास साहब द्वारा सब क्लॉज़ (३) के अन्दर 'एस. डी. ओ.' शब्द जोड़ने का सवाल है उसमें मैं इतनी ही तरमीम चाहता हूं कि एस. डी. ओ. के बजाय 'तहसीलदार' शब्द कर दिया जाय या सरपंच कर दिया जाय। छोटीसी बात के लिए एस. डी. ओ. के पास जाना आवश्यक नहीं है। गैर खातेदार को अधिकार दिया गया है कि :

" A Ghair Khatedar or a tenant of Khudkasht may, with the previous permission of his landholder, remove any trees standing on the holding or an unoccupied land for his own domestic or agricultural use."

तो अगर हम सरपन्च को भी यह अधिकार नहीं देवें तो तहसीलदार को यह अवश्य दिया जाना चाहिए और यदि श्री एच. के साहब चाहें तो एस. डी. ओ. की जगह 'तहसीलदार' सब्स्टीट्यूट कर दें इसलिए कि तहसीलदार इस विषय में ज्यादा टच में रहता है। लैंड होल्डर पर्मिशन न दे तब यह होगा, अगर दे देता है तो कोई बात नहीं।

तीसरा सवाल श्री चांदमलजी ने रखा है कि ग्रीन ट्रीज़ नहीं काटे जांय। इसके लिए यह रखा है कि :

"(1) A landholder may of his own accord remove trees standing on unoccupied land in his possession for his own domestic or agricultural use."

दूसरे शब्दों में हम यह चाहते हैं कि "डोमेस्टिक यूज" इसमें से हटा दिया जाय।

**श्री चांदमल मेहता**—ग्रीन ट्रीज़ के अलावा सूखे पेड़ काट सकेंगे।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—डोमेस्टिक हटा दिया जाय तो हल के लिये पेड़ काट सकते हैं। इसके लिए भी एक समस्या बन जायगी कि इतने सूखे पेड़ कहां से आवेंगे और कौन यह तय करेगा कि सूखा पेड़ काटा है या हरा। उसके पहले किस ऑफिसर को लाया जायगा? क्या तरकीब होगी? आप हरा काट लेंगे और फिर कहेंगे कि सूखा ही काटा है तो, मैं समझता हूं कि हमें इस प्रपन्च में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह अमेंडमेंट फिजूल सा है।

**श्री चांदमल मेहता**—लाइसेन्स देते वक्त इस बात को देखेंगे।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—लाइसेन्स देते वक्त वह देखने थोड़े ही जायगा। इसमें कोई तथ्य नहीं है। मौजूदा सेक्शन है वह सारे पर्पजेज़ को हल करता है।

लेकिन डिफीकल्टी एक आती है और वह डिफीकल्टी यह आती है कि हम 'ट्री' की परिभाषा क्या मानें? एक लम्बा-चौड़ा पेड़ है, उसकी डाली को काट लिया गया तो कायदे से वह

[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

रिमूवल ऑफ 'ट्री' तो नहीं हुआ। रिमूवल ऑफ ट्री का मतलब, मैंने इस संबन्ध में जितने भी इन्टरप्रिटेशन्स देखे हैं, जड़ से पेड़ को उखाड़ देने से है। इस वक्त जो रिमूवल ऑफ ट्रीज़ का आर्डिनेन्स बना हुआ है उसकी तहत सैकड़ों मुकदमें मैंने खारिज होते हुए देखे हैं। लोगों ने यह किया कि तला-तला तो छोड़ गये, डाल काट ले गये, क्योंकि it Dose not come under the definition of "removal." यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हमारी मन्सा क्या है? क्या हम वाकई यह चाहते हैं कि सारे प्रोविज़न्स इस बिल में डिफेक्टिव हों ताकि इसको यूजलेस करार दे दिया जाय? जड़ नहीं उखाड़ी और सारा पेड़ ही काटकर ले गये और वह रिमूवल ऑफ ट्री नहीं है। वाकई यह आप रखना चाहते हैं कि पेड़ नहीं काटे जायं तो इसके लिये एक स्पेसिफिक बिल आना चाहिये या हमारा ट्री के रिमूवल से मतलब क्या है, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये। 'ट्री' से हम क्या मतलब लेते हैं केवल उसका पार्ट या पूरा पेड़ लेते हैं। पार्ट ऑफ ट्री लिया गया तो दूसरी समस्या एक यह खड़ी हो जायगी कि किसी किसान ने किसी पेड़ की डाली काट ली अपने जानवरों को खिलाने के लिये या अपने निजी कार्य के लिये। अगर यह भी इस प्रोविजन के अन्तर्गत आता है तो किसान के लिये बड़ी मुसीबत खड़ी हो जायगी। कम से कम ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिये कि यह सेक्शन इनइफेक्टिव न हो। इसकी मंशा यह हो कि दरअसल पेड़ ज्यादा न काटे जायं। अभी श्री घींसीसिंहजी ने बताया कि यदि इस प्रकार का प्रोविजन रख दिया गया तो काश्तकारों को अपने घरेलू कार्य के लिये भी पेड़ काटना जुर्म समझा जायगा। मेरे ख्याल से उनको किसी ने गलत बता दिया है। खातेदार काश्तकार अपनी होल्डिंग में से पेड़ काटने का अधिकारी है, न सिर्फ काश्तकारी काम के लिये बल्कि अपने घरेलू कार्य के लिये भी लकड़ी काट सकता है। वह चाहे तो दरवाजे बनाने, मकान बनाने में उसका उपयोग कर सकता है। ये सब चीजें उसमें शामिल हैं और रोक-थाम अगर किसी चीज़ के लिये की गई है तो वह यह कि वह उन दरखतों को बेच नहीं सकता, लेकिन वे दरख्त अगर गिर पड़ते हैं तो वह बेच सकता है। सिर्फ इसलिये नहीं काटेगा कि वह उसे बेचेगा। बाकी सब बातों के लिये वह मिल्कियत काश्तकार है। अगर वह बेचना चाहता है तो एस. डी. ओ. की इजाजत लेनी पड़ेगी। उसको यह प्रार्थना-पत्र देना होगा कि मैं इन पेड़ों में से २५ पेड़ बेचना चाहता हूं। यह उसकी मर्जी पर है कि वह उसे बेचने की इजाजत दे या न दे। अगर एस. डी. ओ. उचित समझेगा तो इजाजत मिल भी सकती है। यह सब बातें इस बिल की क्लॉज़ों में मौजूद हैं।

यशोदादेवी जी और अन्य दूसरे सदस्यों ने यह शिकायत उपस्थित की है कि काश्तकार को डाली काटने का अधिकार है, पेड़ काटने का अधिकार नहीं। अतः काश्तकारों को पूर्ण रूप से यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने खेत में जो पेड़ हैं उन सब का मालिक है, वह चाहे जैसा उनका उपयोग करे। यह भी कहा गया कि अगर पेड़ गिर भी पड़ता है, तो उसके लिये लाइसेन्स लेना पड़ता है, बेचने का उसको अधिकार नहीं है। इसलिये ऐसे पेड़ों को बेचने का अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं इस संबन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बेचने का अधिकार देना न्यायोचित नहीं। आज-कल की परिस्थितियों को देखते हुए इस संबन्ध में उन पर नाना प्रकार के दबाव पड़

[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

सकते हैं। हमारे यहां ऐसे रीति रिवाज है; शादी विवाह, नुकते आदि करते समय किसान लोग रुपया उधार ले लेते हैं। ऐसी हालत में यह होगा कि बनिये की तरफ से दबाव पड़ेगा तो वह किसान बेचारा यह कहेगा चलो १०० पेड़ हैं खेत में ५० पेड़ दे देता है और उसको कम कीमत पर भी बेच सकता है। इसलिये मेरी समझ में ऐसी परिस्थिति में पेडों के काटने या बेचने की इजाजत देना काश्तकारों को बर्बाद करना है। इसलिये इसमें प्रोविजन रखा गया है कि घरेलू काम के लिये दरख्त काट सकता है, काश्तकारी काम के लिये काट सकता है और दूसरी चीजों के लिये एस. डी. ओ. की इजाजत लेनी पड़ेगी।

एक सुझाव माननीय श्री जवानसिंह ने रखा कि अन-ओक्युपाइड लेन्ड पर लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। इससे स्थिति यह होगी कि कोई भी किसान अन-ओक्युपाइड लेन्ड से ही पेड़ काटना शुरू कर देगा और यह कह देगा कि मैं तो अपने एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये काट रहा हूं या मुझे इससे कूए की भंवर बनवानी है, कूए की नाल बनवानी है इसलिये मुझे पचास दरख्त चाहिये। यह तो रोजमर्रा कौन तहकीकात करता रहेगा कि वह खुद की होल्डिंग में हैं या नहीं? कौन मुखबरी करता रहेगा? यह मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। इससे यह होगा कि हर किसान अन-ओक्युपाइड लेन्ड से दरख्त काटेगा। इससे जितने भी पहाड़ या जंगल दिखाई देते हैं सब पेड़ों से सूने मालूम देने लग जायेंगे। दरअसल आपको आवश्यकता है तो आपको एस. डी. ओ. की इजाजत लेनी चाहिये। लेकिन आप ऐसा कानून बनाते हैं कि अन-आक्युपाइड लेन्ड पर बगैर इजाजत के दरख्त काट सकता है तो खातेदार की जमीन पर से कोई पेड़ नहीं काटेगा, सब डूंगर और पहाडों से पेड़ काटना शुरू कर देंगे। तो यह मन्शा तो उनकी नहीं हो सकती, मैं यह नहीं मानता, सम्भवतः और किसी दूसरी भावना से अमेंडमेंट रखा हो। अगर हम इस तरह का प्रोविजन रख देते हैं तो एक नया रास्ता जंगल काटने का निकल सकता है। मेरे ख्याल से इसको सोचेंगे और देखेंगे कि जो अमेंडमेंट वे रखना चाहते हैं दरअसल वह न किसानों के हक में है और न राज्य के हक में। यह एक गलत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात हो सकती है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

क्लॉज ५ में जो प्रोविजो लगाने की बात कही गई है "Provided that where a tenant wants to purchase a tree for an agricultural purpose from and the tenant" यहां "from and the" लिखा हुआ है, 'from another tenant' होना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**—Printing mistake है।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—अदर परसन से क्या मतलब है, इसको स्पष्ट कर लिया जाय "From another tenant, the tehsildar, Naib tehsildar, sarpanch" फिर बिल्कुल ठीक हो जायगा। मेरा यह सुझाव है कि इन तीनों बातों को क्लेरिफाइ किया जाय। 'रिमूवल' से क्या

# Page No.61



[ श्री कपिलदेव अग्रवाल ]

मतलब है, क्या जड़ को काटना ही रिमूवल समझा जायगा या डाल वगैरह भी रिमूवल ऑफ ट्री में शामिल किया जायगा ? It should be very specific,

दूसरा इसमें यह बताया जाय कि पार्ट ऑफ द ट्री सबस्टीटयूट किया जाय, तो उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिये। डाल वगैरह भी काट लेता है अपने मवेशीयों को चराने के लिये या किसी घरेलू काम के लिये, तो क्या पार्ट ऑफ दी ट्री में इसको एक्सक्लूड किये जाने की बात सोची जानी चाहिये।

दूसरा यह कि इसमें 'सब डिवीज़नल ऑफिसर की' जगह 'तहसीलदार' करना चाहिये। इन सब सुझावों पर माननीय मंत्रीजी विचार करेंगे और अपना निर्णय देंगे।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्यामलालजी ने जो संशोधन नं० २८१ इस क्लॉज ६३ पर रक्खा है उसका मतलब जैसा श्री कपिलदेवजी ने कहा कि ग्रोव होल्डर के चेप्टर को देखने से यह पता चलता है कि ग्रोव होल्डर के राइट्स पर प्रोविजन इस चैप्टर पर आया है, इसलिये 'स्टेट गवर्नमेन्ट' शब्दों के पहले 'ग्रोव होल्डर' शब्द जोडने की ज़रूरत नहीं रहती। श्री कपिलदेवजी का यह कहना है।

पर जैसा सब्सीक्वेन्ट अमेंडमेंट आया है कि 'ग्रोव होल्डर' की ट्रीज की लायबिलिटी जैसे चैप्टर १२ में लिखी गई है उसकी करीब करीब सारी बातें जहां जहां इस ग्रोव होल्डर का जिक्र आया है हम अलग अलग चैप्टर में जोडते गये हैं। इससे यह मंशा है कि यह 'ग्रोव होल्डर' का चेप्टर ही बेकार सा इसके बाद में रह जाता है।

इस मंशा से जो सशोधन श्री श्यामलाल जी ने रक्खा है कि इसमें यह शब्द जोड़ने की आवश्यकता है। इससे इस चैप्टर की जरूरत ही नहीं रह जायगी। इसलिये ये शब्द यहां पर रखना वाजिब है और ये शब्द इसके साथ में जोड़े जाने चाहियें और बाकी इस संशोधन के बारे में काफी बहस हो चुकी है और मेरे खयाल से जितने अख्तियारात किसान को मिलने चाहिये जिसकी वजह से किसान के खेत में किसी तरह की दस्तन्दाजी ज्यादा न हो, परन्तु इतने अधिकार भी न हों कि इससे जैसा मिसयूज़ कर देते हैं वैसे वह मिसयूज़ भी न होने पावे।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कमेटी से पास होकर जो रिपोर्ट आई है और जिन क्लॉज़ में जो बातें रक्खी गई हैं वे बिल्कुल सोच-विचार के बाद रक्खी गई हैं। अलबत्ता क्लॉज ३ में जो ......।

# Page No.62



श्री घीसीसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि जो हम उत्पादन करें और जो कुछ भी हम पैदा करें वे उसका उपयोग न कर सकें, उस पर भी सरकार की पाबन्दी होगी। आज हम गेहूं पैदा करते हैं और कोई खाने वाला खा-पी सकता हैं पर बेचे उसको तो बेचे भी हमगवर्नमेन्ट की मरजी से। पैदा करें हम और बेचे गवर्नमेन्ट की मर्जी से तो यह क्या हमारे पर पाबन्दी नहीं हैं ? पेड़ जो हमारे काम में आ जावें वे ठीक, पर बेचना चाहे तो बेच नहीं सकते, यह भी अगर बेचें तो गवर्नमेन्ट की मर्जी से। तो यह पाबन्दी नहीं हो तो और क्या है ? हम पैदा कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं पर उसका फल हम नहीं भोग सकते।

श्री हिम्मतसिंह ( अटरु )—इसका इन्तजाम तो जरुर होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी)—मेरे खयाल से यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है नहीं। पर उन को जो दुख है उसको उन्होंने ठीक तरह से रक्खा है। मेरे खयाल से जिस पाबन्दी लगाने की वे बात करते हैं वह किसी भी हालत में एक काश्तकार की खेती में रुकावट डाले, ऐसी बात नहीं है। उनका यह कहना भी ठीक नहीं की जिन दरख्तों को उसने बच्चों की तरह पाला है और बड़ा किया है उसका फायदा उसको न मिलेगा, गवर्नमेन्टके हाथ में कुछ नियन्त्रण रहेगा ताकि उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके।

इसको पढने से साफ मालूम पड़ता है कि एक खातेदार टिनेन्ट या कोई लेण्ड होल्डर जिसका उस पर हक है उनके खुद के काम में, उनके घरेलू काम में जिस वक्त, जिस तरह से वह चाहे काम ले सकता हैं। इसके लिये किसी की तरह रोक नहीं हैं।

श्री घीसीसिंह—बेचने के लिए कहां आप खुली इजाजत देते है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—हां, बेचने के लिए दरख्तों की आप बात करते हैं। इसके लिए भी कोई खास रोक हो, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ इजाजत लेकर काम करना पड़ेगा। यह इजाजत भी केवल इसलिए रक्खी है कि खेत पर पेड़ बड़ी अहमियत रखते हैं और इससे खेत को फायदा ही पहुँचता है, पर कोई जान-बूझ कर नुकसान करने की दृष्टि से पेड़ काट काट कर बेचना शुरू न कर दे इस दृष्टि से यह इजाजत लेकर बेचने की बात रक्खी गई है। अगर उसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़े अपनी किसी आवश्यकता को किसी खास हालत में पूर्ति करने के लिए तो जैसा हमारे माननीय ठाकुर साहब ने कहा है वैसी कोई पाबन्दी की बात नहीं है और यह पाबन्दी जो थोड़ी बहुत है वह ऐसी नहीं है जो किसान को हानि पहुँचाने वाली हो।

इसके अलावा सब टिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त, जिनका जिक्र किया जा रहा है उनके लिए अलबत्ता यह बात रक्खी है कि उसे इसके लिए लैण्ड होल्डर की इजाजत लेनी पड़ेगी। यह बात एक तरह से वाजिब हैं क्योंकि जब उनका हक जमीन पर पूरी तरह से नहीं है तो वहां की किसी चीज़ के लेने के लिए मालिक की पर्मिशन तो लेना ही चाहिये, अब पर्मिशन एस. डी. ओ. से

[ श्री नाथूराम मिर्धा ]

लेना या क्या, तो इसकी जगह 'तहसीलदार' शब्द रखा जाय तो ज्यादा ठीक होगा । या फिर इसको भी रहने दिया जाय और 'तहसीलदार' को भी जोड़ दिया जाय । इसका जोड़ना इसलिये लाजमी है कि वक्त जरूरत खास खास मौकों पर शायद लैण्ड होल्डर इसकी इजाजत न दे तो दूसरा ऑल्टर्नेटिव या रास्ता खुला रहे ताकि वह इजाजत लेकर अपना काम निकाल सके ।

मेरे ख्याल से यह कॉन्टिन्जेन्सी भी कम आवेगी क्योंकि ऐसा अनवाइज़ लैण्ड होल्डर नहीं होगा जो लकड़ी की इजाजत न देकर अपने खेत में नुक्सान होने दे, जब तक कि कोई खास ऐसी इमीजिएट ग्राउन्ड न बन गया हो, क्योंकि जो जमीन काश्त करने के लिए वह देता है तो उसके दिमाग में भी यह रहता है कि अगर काश्त नहीं हुई तो मुझे लगान कहां से मिलेगा ? तो इस प्रकार के केसेज़ बहुत रेअर होंगे ।

इसलिए यह संशोधन एक 'तहसीलदार' शब्द जोड़ने का है। इसको एक तरह से ऑल्टरनेटिव के तौर पर रख लिया जावे तो कोई बेजा बात नहीं होगी।

सब टिनेन्ट के लिए यह प्रोवीज़न है, इसमें खास तौर से कि सब टिनेन्ट को अपने टिनेन्ट से पूछना पड़ेगा कि इस वक्त दरख्त की आवश्यकता है, यह भी प्रेक्टिकली बात इसमें लिखी है । अगर उसके टिनेन्ट की बिना इजाजत के या उसकी मर्जी के मुताबिक दरख्त काटने का अधिकार दिया जावे तो इसका दुरूपयोग हो सकता है इसलिए यह चैक रखना जरूरी है और वैसे टिनेन्ट के द्वारा रिफ्यूज़ करने के मोके रेयर होंगे ।

इसलिए इस सारी दफा को एक साथ देखें और जो क्लॉज़ेज़ आगे दिये हैं उन पर विचार करें तो वहां लाइसेंस की बात रखी है 'एनी अदर परसन'; उसको भी अगर अनऑक्यूपाइड लैण्ड में चाहे जब काट लिया करें तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं।

**श्री जवानसिंह**—चाहे जो आदमी हो ?

**श्री नाथूराम मिर्धा**—नहीं, केवल काश्तकार । क्योंकि वर्ड 'एनी अदर परसन' का यह मतलब हो कि जिस तरह का चाहे सब आदमियों को अधिकार दे दो ! मरजी आवे जिसके वह उतनी तादाद में दरख्त काट कर ले आवे तो यह कोई जिम्मेदारी की और संजीदगी की बात नहीं होगी क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है । बहुत ज्यादा तौर पर वृक्षों की बरबादी हो सकती है । आम तौर पर हम देखते हैं कि जो वड कटर होते हैं और जो जंगल से पेड़ काट कर लाकर बाजार

[ श्री नाथूराम मिर्धा]

में बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं उनकी बन आवेगी। इसलिए किसानों को आराम से काश्त करने के लिए उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए लकड़ी काटने भर का अधिकार मिलना चाहिए, इसमें किसी तरह की रूकावट नहीं हो। इसलिए सब क्लॉज़ (३) में जो श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन है वह ले लिया जाना चाहिये और मेरे ख्याल से श्री श्यामलालजी ने जो रक्खा है वह भी मन्जूर किये जाने के लायक है और इसके बाद में जो प्रोविज़न श्री चांदमलजी ने रक्खा है और जो भाई कपिलदेवजी ने रक्खा है वह करीब एक तरह से रिडन्डेन्ट हो जाता है।

इन दो शब्दों के साथ मैं इन दो अमेन्डमेन्ट्स का समर्थन करता हूं।

**श्री मोतीलाल चौधरी**—माननीय उपाध्यक्ष, सेक्शन ६३ में जो माननीय श्री एच. के. व्यास ने संशोधन रखा है उसके पक्ष में बोलता हूं। उसी एमेंडमेंट में सिर्फ सब सेक्शन (४) के अन्दर एडजेस्ट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। सब सेक्शन (३) के अन्दर एक गैर खातेदार और खुदकाश्त टिनेन्ट के लिए लिखा है कि अगर लेन्ड लोर्ड पर्मिशन नहीं दे तो सबडिवीज़नल ऑफिसर से पर्मिशन लेकर कर सकता है, लेकिन सब सेक्शन (४) में सब टिनेन्ट को पर्मिशन देने के बारे में २ कन्डीशन्स हैं, एक तो पर्मीशन लेनी पड़ेगी और परमीशन ही नहीं बल्कि रिटन पर्मीशन लेनी पड़ेगी और वह भी किसके लिए ? खुदकाश्त टिनेन्ट के लिए और गैर खातेदार टिनेन्ट के लिए तो रखा है कि डोमेस्टिक और एग्रिकल्चरल यूज़ के लिए, दोनों के लिए और सब टिनेन्ट के लिए रखा है only he can ........."

**श्री जवान सिंह**—सुनाई नहीं दे रहा है।

**श्री मोतीलाल चौधरी**—सबसेक्शन (४) में सब टिनेन्ट के लिए ट्रीज़ रिमूव करने के बारे में रेस्ट्रिकशन लगाई है कि वह सबटिनेन्ट एग्रिकलचरल पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है और वह भी पर्मीशन लेकर। सब सेक्शन (४) के अन्दर सब टिनेन्ट को ट्रीज़ रिमूव करने के बारे में रेस्ट्रिक्शन दो जगह लगाई है। एक तो लगाई है कि सिर्फ एग्रिक्लचर यूज़ के लिए ही ले सकता है, डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं ले सकता है, मगर गैरखातेदार और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिए यह लगाया गया है कि वह डोमेस्टिक यूज़ प्लस एग्रिक्लचरल यूज़ दोनों के लिए ले सकता है और सब टिनेन्ट के लिए दिया गया है, सिर्फ एग्रिक्लचरल पर्पज़ के लिए ले सकता है। इसलिए कम से कम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ले सके यह होना चाहिए। उसके लिए "with the written perm-inssion of the landlord" हो तो क्या हर्ज है। तो कम से कम एग्रिक्लचरल पर्पज़ के लिए मिल सके, काट सके तो यह खुला रखना चाहिए कि अगर लेन्ड होल्डर उसको नहीं दे उसकी पर्मीशन तो सबडिविज़नल ऑफिसर या तहसीलदार की पर्मिशन से वह काट सकता है। यह उसको राइट देना चाहिये।

[ श्री मोतीलाल चौधरी ]

इसमें ओनली विथ दी प्रिवियस पर्मिशन "हो, रिटन पर्मिशन नहीं रहे क्योंकि बहुत से खातेदार पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। वह अगूंठा चेपने वाले लोग हैं, वे रिटन पर्मिशन कैसे लिखेंगे ? इसलिए अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना है, उनकी प्रिवियस पर्मिशन उसमें रखना है तो'रिटन'शब्द को उडा दीजिये उसके आगे से। सब-टिनेन्ट को जो राइट्स दिये हैं अगर लेन्ड होल्डर या खातेदार नहीं देता है तो एस. डी. ओ. की पर्मिशन लेकर एग्रिकलचरल यूज़ के लिए जैसे कि हल के लिए, जरूरी काम के लिए, वह यूज़ कर सकता है।

एक सब-टिनेन्ट है,वह खेत जोतता है, उसका कुआ है, उसका मूंड पड गया है। मूंड लकड़ी का होता है और अगर वह बिना पर्मिशन के नहीं लगा सकता है तो कितना नुकसान होगा उस समय के लिए। पानी देना है खेत के अन्दर, तो पानी देने के लिए लकड़ी चाहिए। उस समय पर्मिशन नहीं देता है. लेन्ड होल्डर, तो वह लकड़ी कप्ई काट नहीं सकता है और उसको नुकसान पहुँचता है। पर्मिशन नहीं देता है तो तहसीदार की पर्मिशन ले सके। 'रिटन पर्मिशन' नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 'पर्मिशन' होनी चाहिए।

इसके बाद में ६३ के अन्दर एक एडीशन करने का सजेशन है। वह सजेशन यह है कि क्लॉज़ ६२ के अन्दर यह लिखा गया है : "Trees not removable except as provided." और उसमें क्लियर कर दिया है कि :-"Notwithstanding anything to the contrary in any law, custom or contract, no trees standing on occupied or unoccupied land shall be removable therefrom except as provided in section 63." इसके अन्दर क्लियर किया है कि किसी कारण से वेस्ट रहेगा।

तो वह नहीं कर सकता है और किसी तरह से कोई जमीन के अन्दर आक्युपाइड या अनऑक्युपाइड जमीन हो तो नहीं काट सकता है। क्लॉज़ ६३ के अन्दर एक प्रोविजन लगाया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह डिलीट कराया जाय क्योंकि पब्लिक युटिलिटी के लिए चाहिये; जैसे कि मान लीजिये कि गांवाई कुआ है, गांव के लिए एक कूआ खोदना है तो पेड़ की जरूरत पड़ती है, कूए में लगाने के लिए। हमारे जोधपुर और बीकानेर में कूओं को पक्का बान्धने से पहले पेड से बांधना पडता है। उसमें पेड की जरूरत पड़ती है। इस पब्लिक युटिलिटी के लिए अगर पेड की जरूरत पड़े तो तहसीलदार की पर्मिशन से काट सकें गांव के आदमी। यह प्रोविजन इसमें होना चाहिए। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सब-क्लॉज़ (४) के बाद में यह प्रोविजन लगा दिया जाय :

"Provided further that any tree may be removed with the previous permission of the Tehsildar for use of public utility." फिर से निवेदन करूंगा कि पब्लिक युटिलिटी के लिए खुला रखें, ताकि गांव के लिए कूए की जरूरत हो तो वह काट सकें।

**श्री सोहनलाल भटनागर**—माननीय उपाध्यक्ष, टिनेन्सी बिल के पास होने के बाद राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डीनेन्स, १९४९, रिपील होता है। ऐसे तो १९४९ के साथ में इसके

[ श्री सोहनलाल भटनागर ]

प्रोविजन्स को अगर मिलायें तो हमें विदित होगा कि इसमें बहुत बड़ी खामी रह गई है और यदि यह खामी इसमें रख दी गई तो किसान को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खास तौर से उन क्षेत्रों के किसानों को जिनके पास होल्डिंग्ज़ छोटे हैं और उनके छोटे होल्डिंग्ज़ होने के कारण उनके होल्डिंग्ज़ में दरख्त नहीं हैं और वह बिना नाम जमीन जो सरकार वगैरह की होती है पास में वहां से वह कृषि के यन्त्र के लिए लकड़ी लेते हैं। उन क्षेत्रों के किसानों के लिए खास तौर से दिक्कत होगी जिनके खेती के मुख्य साधन लकड़ी पर आश्रित हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज़ ऑर्डिनेन्स, १६४६, के सेक्शन ४ के जो सब सेक्शन्स (१), (२) और (३) हैं और इसमें अभी जो क्लॉज़ ६३ है उसके ( १ ), ( २ ), ( ३ ) जो सब सेक्शन्स हैं वे आइडेन्टिकल (identical) हैं। थोड़ा सा फर्क है। यह सब-टिनेन्ट और गैर खातेदार की तरफ लगा दिया गया है; वैसे टिनेन्ट शब्द है। उसके बाद में जो सब क्लॉज़ (५) में देखें और उसके अन्दर सब क्लॉज़ (५) है उसके अन्दर मिलान करेंगे तो फिर इसका डिफरेन्स मालूम होगा। इसमें इस प्रकार है :

"Any landholder or tenant or other person desiring to use from any land otherwiso than in acocrdance with this section shall apply to the Sub-Divisional Officer or other officer of equal status in his jurisqiction fer the issue of a license in that behalf."

तो इसके अन्दर वह कन्डीशन्स नहीं लगाई हुई हैं कि उस सब टिनेन्ट या टिनेन्ट आफ खुद काश्त का पजेशन हो, उसकी आनरशिप में हो, और हमारी जो सब क्लाज़ है उसमें यह है :

"Any person desiring to remove, otherwise than in accordance with the foregOing sub-sections, any trees which vest in him or are his property or are in his possession may do so under a licence to be granted on application by the Sub-Divisional Officer." तो इसमें तीन कन्डीशन्स दी हुई हैं, इन तीनों में से एक तो होगी कि या तो वह ट्रीज़ उसके अन्दर वेस्ट करते हों या उसकी प्रापर्टी हो या उसके पजेशन में हों: यह तीनों चीजें होंगी जब सब डिविजनल ऑफिसर से उसको लाइसेन्स मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत जो पहले का सब सेक्शन (५) है उसके अन्दर तीनों कन्डीशन्स नहीं दी हुई हैं और न उसमें यह दिया हुआ है कि तभी उसको इजाजत मिलेगी। इसलिए उसके क्षेत्र की ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि बिला नाम की जमीन में से इन धाराओं के अन्तर्गत बिना पैसा लिये हुये लाइसेन्स दिये जाते रहे हैं और वह अपने कृषि के लिये उनमें से लकड़ी लेते रहे हैं और भी ऐसी क्लॉज़ नहीं रखी गई। यह प्रोविजन सब क्लॉज़(५)में रख रहे हैं। तो मैं निवेदन करनाचाहूंगा कि उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वे समाप्त हो जायेंगे।कहा यह जा सकता है कि सब क्लॉज़(७)के अंतर्गत गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि अपनी लकड़ी को ले सके, लेकिन मैं निवेदन चाहूंगा कि यह चीज

[ श्री सोहनलाल भटनागर ]

होगी तो उसके पेरेलल सेक्शन ६ मौजूद है जो क्लियर है ! यदि यह मंशा गवर्नमेंट की हुई होती तो यह क्लॉज़ इन शब्दों के साथ इसमें नहीं रखा जाता । जो अभी सुविधाएं काश्तकारों को दी जा रही हैं वे और बढ़ें, न कि जो सुविधाएं अभी मौजूद हैंउनसे भी कमहो जांय और न लेजिस्लेचर की यह मंशा है कि सुविधाएं कम की जाएं लेकिन यह मंशा है कि गलती से कोई ऐसी चीज रह न जाय, जो आगे जाकर तकलीफ दे और कानून को अमेन्ड करना पड़े । इसलिये मैंने जो बातें कहीं हैं उन पर गौर करें ।

**श्री मानसिंह महार**--माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ६३ के बारे में सदन के सामने अनेक प्रकार के विचार आये । कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि इसके अन्दर कुछ नयी धाराएं बढ़ा दी जांय । कुछ लोग इस विचार धारा के भी हैं कि यह क्लॉज़ जिस प्रकार का है उसी प्रकार से पास कर दिया जाय । मेरा यह कहना है कि यह क्लॉज़ इस कानून के अन्दर यदि देखा जाय तो सबसे संजीदगी से रखा हुआ है । यह क्लॉज़ वह है जिसमें सबके वाजिब हकों को सुरक्षा की गई है । मेरे एक मित्र ने जो उदयपुर की तरफ से तशरीफ लाये हैं यह फरमाया कि कास्तकारों को जिनके नाम जमीन है, पेड़ काटने की इजाजत होनी चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज़ ६३ के अन्दर जो इस समय खातेदार और गैर खातेदार टिनेन्ट्स को हक-हकूक दिये गए हैं वे बहुत वाजिब हैं । एक मित्र जो जोधपुर की तरफ से आए हैं उन्होंने यह संशोधन रखा है कि यदि लैंड होल्डर इजाजत नहीं दे तो वह तहसीलदार से इजाजत ले सकता है । यदि इस प्रकार के छोटे-छोटेई मामलों में अपीलें और इजाजत ली जायगी तो काश्तकारों की बिना वजह झंझट बढ़ेगी और मुकद्दमा बाजी भी बढ़ेगी । इसलिये जो अमेंडमेंट उन्होंने रखा है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये । उसमें एक बात यह भी है कि कोई काश्तकार अपने खेत में दरख्त काटना चाहे तो खेती के काम के लिये, डोमेस्टिक काम के लिये ले सकता है, बाकी बेच नहीं सकता । इसके बारे में माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह निवेदन करना है कि आप सूखे पेड़ को बेचने की इजाजत देते हैं । यदि को पेड़ सूख जाय तो उसको बेच दिया जायगा, तो उस पर ऐतराज नहीं करेंगे । मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि यदि किसीं काश्तकार को किसी पेड़ को बेचना होगा तो उसको सुखाने के लिये उसके पास बड़ी आसान तरकीब है । बरसात में वह पेड़ के चारों तरफ गड्ढा खोदेगा और पेड़ की जड़ों को चारों तरफ से काट देगा और वापिस गड्ढे को बूर देगा और दरख्त अपने आप २ महीनों में सूख जायगा और फिर वह किसान उसको बेचने का हकदार हो जायगा । ...

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—ऐसा कई बार किया गया है ?

**श्री मानसिंह महार**—मैं तो आज तक गीले भी बेच सकता था ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—आपको ऐसी बातों का अनुभव बहुत है ।

**श्री मानसिंह महार**—आप लोगों ने ही सिखाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यदि किसी काश्तकार के पास खातेदारी की जमीन है तो उसको अवश्य हक होना चाहिये कि अपने खातेदारी जमीन के दरख्त बेच सके। कई बार ऐसा मौका आता है जब कि पेड़ छोटे होते हैं तो किसी प्रकार का खेती को नुक्सान नहीं करते,लेकिन जब बड़े हो जाते है तो उसकी छाया से नीचे की फसल कमजोर हो जाती है। ऐसी सूरत में काश्तकारों को पेड़ बेचना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बबूल के पेड़ काफी हो जाते हैं। ऐसे दरख्त यदि निजी काम में इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो लाजमी हो जाता है कि वे दरख्त बेचे जायं। काश्तकार यदि बेचते हैं तो जमीन की उपज बढ़ती है। ऐसी सूरत में खातेदार टिनेन्ट्स पर यदि प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वह अपनी जमीन पर से दरख्त बेचे तो उसकी इजाजत लेनी चाहिये। तो मैं इसको ना-मुनासिब समझता हू मैं समझता हूं कि जब हम काश्तकारी कानून बना रहे हैं, काश्तकारों को हक हकूक देते हैं तो यह वाजिब हो जाता है कि काश्तकार अपनी जमीन पर उगे हुए पेड़ों के बारे में यह समझते हैं कि यह पेड़ नुकसान-दायी है, इसको बेचने से कृषि को फायदा है तो यदि वह बेचना चाहे तो उसको बेचने की इजाजत अवश्य होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्न यह है कि कुछ मित्र कहें कि इस प्रकार इजाजत दे दी गई तो अनेक सूखे पेड़ कट जायेंगे। मैं कहूंगा कि जहां पर काश्तकारों को इस प्रकार की सुविधा है पेड़ काटने के हक-हकूक मौजूद हैं वहां वास्तव में आप जायेंगे तो देखेंगे कि दरअसल में वहां पेड़ कम कटते हैं। जहां पर काश्तकारों को इस प्रकार के हक-हकूक नहीं होते हैं, वहां रात में जाकर पेड़ काट लेते हैं। यदि आप काश्तकारों को पूरा हक देते हैं तो वह अपनी जमीन के दरख्त को जिनको कि वह अपने बच्चों के माफिक समझता है ( हिअर-हिअर, ) यह समझते हुए उनका नुक्सान करना नहीं चाहेगा। आप किसी काश्तकार को हक दे दीजिये वह····

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—आप भी काश्तकार हो गये हैं, इसलिये जंगल काटने का हक मांगते हैं।

**श्री मानसिंह महार**—जरूर। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि कुछ लोग जिनके पास जमीन नहीं है वे चाहते हैं कि ऐसा हो जाय। लेकिन जो काश्तकार हैं या जिनके पास जमीन है वे कभी इस बात को ठीक नही समझेंगे। यदि सदन चाहता है कि काश्तकारों का इस कानून से भला करें तो इस प्रकार के रोड़े अटकाने वाले कानूनों को अवश्य हटाना चाहिये। इन चंद बातों को कहकर मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उदार हृदय से वे इस क्लॉज़ को पास करेंगे तो काश्तकारों को फायदा होगा, वरना इस प्रकार के रोड़ों से काश्तकारों की वह हालत रहेगी जो पहले रहती आई है।

**श्री मोहम्मद इब्राहिम**—जनाबे सदर, दरख्तों के बाबत मिस्टर मानसिंहजी महार ने जो तज़वीज़ रखी है वह मुनासिब है और दरख्तों के बारे में जो आदमी खुद काश्त करते हैं वे जानते हैं

[ श्री मोहम्मद इब्राहिम ]

कि कितनी दिक्कतों का सामना करके दरख्तों को तैयार किया जाता है। दरख्तों पर पाबन्दी लगवाने वाले शहरू लोग खुद तो काश्त नहीं करते हैं और चाहते है कि जिस तरह से अफसरान हमारे दबाव में आते है, शायद उसी तरह से काश्तकारों के भी दबाव में आ जावें। अगर आप उन पर दरख्तों के बारे में पाबन्द लगायेगें तो ६—६ महीनों तक उनको लकडी काटने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर कहीं पटवारी के हाथ में आ गये तो साल भर तक भी, जब तक उसको काश्तकार से कुछ पट न जाय कि दर्ख्वास्त आगे नहीं बढ़ पावेगी। इसलिये खेती पर पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है। खेती करते समय काश्तकार जमीन को साफ करते हैं। कई दरख्त उनके काम के भी नहीं होते हैं, जैसा मानसिंहजी महार ने बताया, कई दरख्ते दो तरह से नुक्सान पहुंचाते है, छाया से भी खेती को नुक्सान होता है और उन पर आकर जानवर बैठते हैं वे भी नुकसान करते हैं। इसलिये उनको काटने का अख्त्यार होना लजमी है।

अगर दरख्तों को काटने के अख्त्यारात पर पाबन्दी लगा दी और किसान पेड़ नहीं काट पाये तो आप दरख्तों को बढ़ाने का नहीं बल्कि उनको मिटाने का कानून बना रहे हैं। किसान बच्चों की तरह दरख्त को पालते हैं, कोई खास जरूरत पड़ने पर ही वह उसे काटता है वरना वैसे बाजार से लकडी खरीदता है। अकाल के दिनों में वह टोकर और खेजड़ी के दरख्तों की पत्तियों से लूगों से अपने मवेशी को पालता है और वैसे ही अमूमन ६ महीनों तक इनका चारा मवेशी को दिया करता है। तो ऐसी सूरत में वह क्यों ऐसे दरख्तों को काटने लगा? मैं मिनिस्टर साहब से दर्ख्वास्त करूंगा कि दरख्तों को काटने के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं हो, इससे ज्यादा दरख्त होंगे। नहीं तो खेतों में कोई दरख्त नहीं लागायेगें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ पर काफी बहस-मुबाहसा हुआ है और एक तरफ अनआॅक्युपाइड लैंड पर काश्तकार को बिना इजाजत दरख्त काटने की इजाजत होनी चाहिये। इस प्रकार के संशोधन हैं, तो दूसरी तरफ सिवाय एग्रीकल्चर यूज के कोई दरख्त नहीं काटने दिया जाय। इस प्रकार के संशोधन पेश हुए हैं।

इसमें शक नहीं कि किसान के अधिकारों की दृष्टि से यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और कई झगड़े भी इसकी निगाह से देखने को मिलते हैं, परन्तु बहुत से झगड़े खातेदार टिनेन्ट्स के बारे में भी मुकद्दमें वगैरह देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के झगड़े भी हमारे सामने आये हैं। यह जो क्लॉज़ ६२ है इसके सब क्लॉज़ (१) पर किसी को एतराज नहीं है, सब क्लॉज़ (२) इस प्रकार है:

"(2) A Khatedar tenant may of his own accord remove trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use"

[ श्री मोहनलाल सुखाडिया ]

इसके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि खातेदार टिनेन्ट को अधिकार होना चाहिये कि चाहे अपने यूज़ के लिये या बेचने के लिये भी दरख्त काटना चाहे तो वह दरख्त काट सकता है, उसको यह अधिकार होना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हमने इस प्रकार की इजाजत दे दी तो जैसा कि बहुत से सदस्यों ने बताया किसान किसी भी वक्त किसी प्रलोभन में फंस कर दूसरों को दरख्त बेच सकता है। इससे दरख्त के कटने की तो हानि होगी ही परन्तु किसान को भी अन्ततोगत्वा नुक्सान होता है। यह नहीं है कि वह किसी भी हालत में नहीं कटवा सकता, उसकी किसी आवश्यकता के वक्त वह दरख्त काट सकता है। तो इससे हमें यह समझने की आवश्यकता नहीं आती कि किसान के अधिकारों में बहुत ज्यादा कमी कर दी गई है। तो इसमें जो प्रतिबन्ध लगाया है वह आवश्यक है। तीसरा अमेंडमेंट इस उप खण्ड पर लाया गया है :

"(3) A Ghair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht may, with the previous permission of his land-hodler, remove any trees standing on his holding."

इसमें 'तहसीलदार' शब्द को या "एस. डी. ओ." को और जोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। गैर खातेदार टिनेन्ट के लिये तो ऐसी बात नहीं है, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिये यह सुझाई गई है। जब चौथा उपखण्ड को देखते हैं तो, तीसरे में जो रखते हैं तो चौथे में भी रखना चाहिये। खुदकाश्त होल्डर को और खातेदार टिनेन्ट को एक सा समझा गया है और खातेदार टिनेन्ट के सब टिनेन्ट को इजाजत नहीं दें तो तहसीलदार के पास दरख्वास्त कर के इजाजत हासिल कर सकता है। तो खुदकाश्त होल्डर के टिनेन्ट को भी यह हक नहीं देते हैं तो यह अच्छा नहीं।

तो मैं समझता हूं कि तीसरे और चौथे दोनों उपखण्डों में यह रखना चाहिये। जिसमें खातेदार भी मना करता है सब टिनेन्ट को तो तहसीलदार के पास आकर इजाजत हासिल कर ले। यदि माननीय सदस्य तीसरे में जो रखा है चौथे में भी बढ़ा दें तो मुझे इसमें एतराज नहीं है।

ज्यादा चर्चा इस बात पर चली है कि अनऑक्युपाइड लैंड पर काश्तकार का क्या अधिकार हो। मैं समझता हूं कि हम इस समय टिनेन्सी बिल की चर्चा कर रहे हैं, टिनेन्ट्स के अधिकारों की चर्चा को अभी गवर्नमेंट की लैंड पर, लैंड होल्डर की अनऑक्युपाइड लैंड पर काश्तकार का क्या अधिकार है, यह चर्चा करने लगें तो यह टिनेन्सी बिल के अधिकार के बाहर की बात हो जायगी। रिमूवल ऑफ ट्रीज़ के बारे में काश्तकार चाहे तो उसको इजाजत मिल सकती है, इसके बारे में कोई रुकावट नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं दे सकती। इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (७) को देखें तो स्पष्टीकरण मिलेगा, जिसमें हमने कहा है कि :

"Nothing in this section shall apply to the State Government or affect the right or power of the State Government to remove or cause to be removed or

# Page No.71



[ श्री मोहनलाल सुखाडिया ]

order the removl of any tree standing on any land enterel in the nam3 of the Stat> in revenue records and for any purpose whatever."

इससे हमें यह अधिकार है कि हम अनऑक्युपाइड लैंड को, जो रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज हो फोरेस्ट रेकर्ड में नहीं, तो गवर्नमेंट उसके दरख्त काटने या और कामों के लिये दूसरों को दे सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ का समावेश इसमें करना ठीक नहीं है। इस खन्ड का वहीं हल होगा जहां सरकार को अधिकार है कि किसी को आवश्यकता हो तो सरकार इजाजत दे सकती है।

अनऑक्युपाइड लैंड पर बिना किसी इजाजत के दरख्त काटने की इजाजत दी गई तो इससे बहुत गडबड़ी पैदा हो जायगी और यह एक पेचीदार समस्या हो जावेगी और इस प्रकार फ्री लाइसेंस देने से अनऑक्युपाइड लैंड पर जितने दरख्त है उनको कोई भी काट सकता है और इस तरह अनऑक्युपाइड लैंड पर सब दरख्त काट दिये जायंगे। मै इससे सहमत नहीं माननीय श्यमलालजी ने एक अमेंडमेंट इसमें प्रस्तुत किया है उससे मैं सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि अब तक जो चर्चा इस सम्बन्ध में हुई उसकी सभी बातें इसमें आ जाती है।

**श्री जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं, आज समय हो चुका है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—मैं एक बात बता देना चाहता हूं। पब्लिक युटिलिटी के बारे में ज्यादा कहा गया है। हम यहां पर टिनेन्सी बिल पर विचार कर रहे हैं, पब्लिक युटिलिटी बिल पर नहीं। इसलिये पब्लिक युटिलिटी के लिये लोगों को अलग से एप्लाई करना चाहिये। इसके लिये अलग से एप्लाई किया जा सकता है और उस पर उस केस के मेरिट्स पर डील विथ किया जा सकेगा।

**श्री जवानसिंह**—क्या उत्तर अगले दिन के लिये रखा जा रहा है, समय हो चुका है।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह विचार भी है कि इस वक्त हाउस की बैठकें छुट्टियें बहुत हो जाने के कारण, उनकी तादात कम रही है, अगर हाउस की मर्जी हो तो कल शनिवार को बैठक रख दी जावे।

(चारों ओर से 'नो-नो' की आवाज)

[ श्री उपाध्यक्ष ]

अच्छी बात है, आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सोमवार को शाम के चार बजे फिर हाउस मीट होगा।

(सदन की कार्यवाही १२, बजकर ५ मिनट पर सोमवार दिनांक ६-९-५४ के शाम को ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**विधान सभा भवन,**
जयपुर,
दिनांक-३ सितम्बर, १९५४

**मनसाराम पुरोहित**
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

## परिशिष्ट १

( तारांकित प्रश्न जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है। )

### प्रश्न

**१६९१. ( ४६० सी. एम. ) श्री जयचन्द्र मोहिल एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६५**—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, भदेसर तहसील के सर्किल इन्स्पेक्टर सरदार श्री चरणसिंह ने ग्राम करूंडा ( तहसील छोटी सादड़ी ) के निवासी श्री जगरूप से जो वहां के जागीरदार का दारोगा था श्री रतनलाल तेली पंचायत बोर्ड के सरपन्च व ४ दीगर व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १४७ आई. पी. सी. (बलवा) की इत्तला करा कर तफतीश अपने हाथों में ली थी ?

(ख) क्या उक्त मामले में, रतनलाल तेली सरपन्च पंचायत बोर्ड को डरा धमका कर व गिरफ्तारी का डर बतलाकर सर्किल इन्स्पेक्टर श्री सरदार चरणसिंह द्वारा २००) रिश्वत लिये जाने की लिखित शिकायत श्री रतनलाल तेली ने एस. पी. साहब चित्तौड़ को दी थी। उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री सरदार श्री चरणसिंह ने मजीद इन्क्वायरी के वक्त श्री रतनलाल को और भी धौंस दिखाई और गुण्डों द्वारा शहादत नहीं आने देने की हरकतें करवाकर मामला शिथिल करवा दिया है ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की काफी शिकायत होते हुए भी वहीं उसको उसी पोस्ट पर रख कर इन्क्वायरी करवाई जा रही है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर शिकायतों को शिथिल करवा रहा है ?

(च) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई, अगर नहीं तो क्यों नहीं ? क्या श्री रतनलाल पर झूठी शिकायत करने बाबत २११ की कार्यवाही की जा रही है ?

### उत्तर

(क) यह सत्य है कि जगरूप दारोगा ने ता० २१-१-५४ को भारतीय दण्ड विधान की धार १४७ के अन्तर्गत एक शिकायत ग्राम कारूंडा के सरपन्च श्री रतनलाल तेली खाजू खां, नवाब खां तथा रशीद के विरुद्ध दर्ज कराई। यह भी सत्य है कि सर्किल इन्सपेक्टर श्री चरणसिंह ने इस मामले की तफतीश की तथा इनके विरुद्ध चार्जशीट अदालत में पेश किया। मुकद्दमा जेर तजवीज़ अदालत है।

ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई कि श्री चरणसिंह का किसी प्रकार रिपोर्ट दर्ज करवाने में हाथ हो।

(ख) रतनलाल तेली की शिकायत पर श्री चरणसिंह के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी किन्तु यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसने रतनलाल तेली से २००) बतौर रिश्वत लिये हैं। इस जांच के दौरान में श्री रतनलाल तेली ने लिखित रूप से एक प्रार्थना पत्र दिया कि श्री चरणसिंह पर लगाये आरोप झूठे हैं तथा उसने कोई रुपये श्री चरणसिंह को नहीं दिये जांच करने वाले अधिकारी को इस पर भी संतोष नहीं हुआ तथा उसने श्री रतनलाल के बयान लिये जिसमें उसने बताया कि कोई रुपया श्री चरणसिंह को नहीं दिया गया। अतः कोई गवाह भी नहीं है।

(ग) यह सत्य नहीं है।

(घ) केवल श्री रतनलाल तेली की इस शिकायत के अतिरिक्त बाद में गलत साबित हुई कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जिसमें चरणसिंह के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप हो।

(च) जी नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतनलाल तेली के विरुद्ध धारा २११ भारतीय दण्ड विधान संग्रह के अनुसार अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह मामला विचाराधीन है।

# परिशिष्ट २

( कृपया प्रश्न संख्या १६६६ का उत्तर देखिये )

Statement of income of the Government on Industries.

| Year: | GINNING FACTORIES | | | | | | | Sodium Sulphate. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bhilwara. | Kapasan. | Gulabpura. | Chhitorgarh. | Sadri. | Shahapura. | Mandawar. | | |
| 1949-50 | 79,290 | 1,43,891 | 1,31,115 | 32,707 | 22,738 | Nil | 7550 | 1,58,236 | (Interium period of six months) |
| 1950-51 | 42,433 | 1,76,562 | 94,350 | 78,333 | 22,366 | 32,424 | 7550 | 4,75,806 | |
| 1951-52 | 64,754 | 67,203 | 1,56,018 | 44,026 | 27,904 | 917 | 7550 | 9,31,866 | |
| 1952-53 | 1,10,410 | 1,52,157 | 2,00,694 | 1,30,010 | 15,468 | 6,283 | 7550 | 9,94,168 | |
| 1953-54 | 1,17,782 | 1,08,133 | 95,335 | 67,761 | 14,502 | 3,074 | 7550 | 12,35,683 | |

The factories at Pech Ki Baori ( Bundi District ) and Tonk were closed. The Factories at Mandawar was given on lease for seven years. The State Oil Mill Kotah is not working. The question of its sale is under the consideration of the Government.